राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेरहवां दिवस संख्या 7 (प्रातः)

शनिवार,

दिनांक 8 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

———

श्री अध्यक्षः माननीय वित्त मंत्री बजट का उपस्थापन करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री):

श्रीमान्,

मैं सन् 1969-70 के बजट के तखमीने प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक पृष्ठ भूमि

2. राज्य की आर्थिक तस्वीर तीव्र विषमता से भरी हुई है। पिछले वर्ष हम खुशहाली की बुलन्दियों पर पहुँच रहे थे मगर कुदरत ने हमें अकाल की गहराइयों में ढकेल दिया। मौजूदा आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और भविष्य की सम्भावनाओं की चर्चा करने के पहले, मैं पिछले वर्ष की कुछ आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूंगा।

3. कृषि उत्पादन का सूचक अंक (1952-53 से 1955-56=100) जो 1966-67 में 105.20 था वह एकदम तेजी से बढ़कर 1967-68 में 154.26 हो गया। यह बढ़ोतरी खास तौर से खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के कारण हुई जिसका सूचक अंक 1966-67 में 106.01 से बढ़कर 1967-68 में 164.08 हो गया। इस समय में खाद्यान्नों के अलावा अन्य पैदावारों का सूचक अंक भी साधारण तौर पर ऊंचा हुआ और 102.34 से बढ़कर 119.76 हो गया। खासतौर से इस वर्ष खाद्यान्नों का 66.08 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ जो सन् 1966-67 में हुए 43.52 लाख टन के उत्पादन से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। सन् 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन, पहले 1961-62 में हुए 56.60 लाख टन के सर्वोत्तम उत्पादन से भी 17 प्रतिशत अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये राज्य सरकार के प्रयत्न सफल रहे हैं।

4. खेती की पैदावार में इजाफा होने से राज्य की आय में भी आशातीत बढ़ोत्तरी हुई। 1954-55 के स्थिर मूल्यों के आधार

Page No. 2

(श्री मथुरादास माथुर)

पर 1967–68 की राज्य की आय में, 1966–67 के स्तर के मुकाबले 11.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में भी 9 प्रतिशत वृद्धि हुई। स्थिर मूल्यों के आधार पर 1960–61 से 1967–68 तक औसतन राज्य की आय में वृद्धि की कम्पाउण्ड दर 3.90 प्रतिशत रही है। इसी समय में इसके मुकाबले राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर 3.58 प्रतिशत रही है। इस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद देश की अपेक्षा हमारी आर्थिक विकास की गति तीव्र रही है। राज्य में वर्षा की कमी और अभूतपूर्व अकाल के कारण इस वर्ष हमारे राज्य की आय और प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाने की मुझे आशंका है।

5. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने राज्य की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबावों और मूल्यों के स्तर में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति में पैदा हुए असंतुलन का जिक्र किया था। राजस्थान में में आम थोक मूल्यों का सूचक अंक 1960 में 122.3 से बढ़कर 1967 में 243.8 हो गया जो लगभग सौ फीसदी की बढ़ोत्तरी है। पिछले वर्ष खेती की अच्छी पैदावार होने के कारण आम थोक मूल्यों के सूचक अंक में पहली बार 1968 में 4.7 प्रतिशत की गिरावट आयी और विस्तृत अकाल की स्थिति के बावजूद मूल्यों में बढ़ोत्तरी के कोई खास लक्षण अभी तक सामने नहीं आये हैं। मैं आशा करता हूं कि मूल्यों का यह अनुकूल रुख कायम रहेगा और आने वाले वर्षों में मुद्रास्फीति रोकी जा सकेगी।

6. राज्य में बिजली की अधिक उपलब्धि के कारण 1968 में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। एक मात्र नमक को छोड़कर अन्य सभी बड़े उद्योगों में उत्पादन अधिक हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले सीमेंट में 4 प्रतिशत, बाल बियरिंग में 13 प्रतिशत, बिजली के मीटरों में 86 प्रतिशत, माइका इन्सुलेटिंग ब्रिक्स में 74 प्रतिशत और नाइलोन के धागे में 106 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। 1968 में सूती कपड़े और सूती धागे का उत्पादन करीब उतना ही रहा जितना 1967 में था। सांभर झील के [illegible] में आयी बाढ के कारण नमक के उत्पादन में गिरावट हुई है।

7. इसी तरह खनिजों के उत्पादन में भी 1968 में बढ़ोत्तरी हुई है। सन् 1967 में कुल 3111 हजार टन खनिजों का उत्पादन हुआ था, उसके मुकाबले 1968 में कुल उत्पादन 3686 हजार टन हुआ है। इस प्रकार 18 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। पिछले वर्ष 3.40 करोड़ मूल्य के खनिज उत्पादन के मुकाबले 1968 में 4 करोड़ मूल्य के खनिज उत्पादन होने का अनुमान है। 1968 में जिन खनिजों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है वह है—जिंक कनसेन्ट्रेट (Zinc concentrate), एसबेसटोस (Asbestos), चाइना क्ले (Chaina Clay), फेल्सपार (Felspar), फ्लोराइट (Flourito), गारनेट (Garnet), जिप्सम (Gypsum), लाइम स्टोन (Lime Stone), क्वार्ट्ज (Quartz), और सोप स्टोन (Soap Stone), वुलफ्राम (Wolfram) बेराईटस (Barytes), केलसाइट (Calcite), फायर क्ले (Fire Clay), ग्रेफाइट (Graphite) और ओकरे (Ochre) के उत्पादन में भी बहुत बढ़ोत्तरी हुई है।

8. पिछले साल हम माली तरक्की के दौर में थे; मगर क्या मालूम था कि अकाल

(श्री मथुरादास माथुर)

का कहर हम पर बरपा होने वाला है। पहले दो वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के बाद पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई थी और हमारी यह उम्मीद उचित ही थी कि अब अगले कुछ वर्षों तक हमें अकाल से छुटकारा मिल जायेगा और हम चैन की सांस ले सकेंगे। परन्तु इस वर्ष मानसून ने अजीब रुख अख्तियार किया। पहले तो अतिवृष्टि के कारण बाढ़ें आयीं और बाद में अभूतपूर्व पैमाने पर भयंकर अकाल पड़ा। सारे राज्य में खरीफ की फसल लगभग पूरी की पूरी नष्ट हो गयी। इस प्रकोप का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने सभी माली व इनसानी साधन जुटाये, और अकाल से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो भी सम्भव था किया और राहत कार्यों में कोई कसर नहीं रखी गयी। अकाल राहत कार्यों पर इस वर्ष में लगभग 21 करोड़ की धनराशि खर्च होगी और हमारा अनुमान है कि अगले वर्ष भी अप्रेल से जुलाई तक इस पर 20 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। खरीफ की पूरी फसलें नष्ट होजाने के बावजूद हमारी अर्थ व्यवस्था पर सन् 1966–67 के मुकाबले में कम प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना है। सूखे का प्रभाव इस वर्ष मुख्यतः राजस्थान तक ही सीमित रहा है। 1966–67 के अकाल के बाद, मूल्यों में जो वृद्धि और खाद्यान्नों की उपलब्धि में जो कमी आई थी, वह देश में खेती की अच्छी पैदावार के कारण, इस वर्ष नजर नहीं आई है। शुरू में अच्छी बरसात से सिंचाई के तालाब भर गये थे और इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में सूखे के कारण कोई खास कमी नहीं हुई है। इसके अलावा गांधीसागर बांध के भराव के क्षेत्र में अच्छी वर्षा होने के कारण बिजली के मामले में हम अच्छी स्थिति में हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष साधारण मानसून आने पर अर्थ-व्यवस्था में सुधार, पिछले अकालों की तुलना में, ज्यादा तेज और मुकम्मिल होगा।

चौथी योजना

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में यह आशा व्यक्त की थी कि राज्य की चौथी पांचसाला योजना इस वर्ष बजट सत्र में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जावेगी। परन्तु हमारे वश के बाहर परिस्थितियों के कारण, चौथी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका और यह मसला अब तक योजना आयोग के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने चौथी योजना का आकार 313 करोड़ प्रस्तावित किया था, जो कि योजना आयोग द्वारा 1966–67 से 1970–71 तक के पांच वर्षों के लिए नवम्बर, 1966 में मंजूर किये गये प्रावधान के बराबर है। इस धनराशि में 262 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता, 20 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं से और 31 करोड़ रुपया अतिरिक्त साधनों द्वारा जुटाना शामिल था। परन्तु अब योजना आयोग ने चौथी योजना में 236.7 करोड़ का प्रावधान रखने की राय दी है, जिसमें 217.70 करोड़ केन्द्रीय सहायता और 19 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करने की बात कही गई है। योजना आयोग ने यह राय दी है कि अतिरिक्त साधन जुटाने से प्राप्त आय को चौथी योजना की धनराशि में सम्मिलित करना तब तक उचित न होगा जब तक राज्य के राजस्व एवं पूंजी खाते के घाटों का तस्फिया न हो जाय। हम योजना आयोग के सामने यह तर्क प्रस्तुत करते रहे हैं कि

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य का विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित राज्य की योजना के लिए 236.70 करोड की धनराशी बिल्कुल नाकाफी है और राज्य की योजना का आकार बड़ा बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम उपयुक्त मात्रा में बढायी जानी चाहिये, हमारी यह निश्चित धारणा है कि केन्द्रीय सहायता किसी भी हालत में नवम्बर, 1966 में चौथी योजना के लिए निर्धारित 227 करोड़ की सहायता से कम नहीं होना चाहिये। इसके अलावा योजना आयोग को हमने बताया है कि हमारे राजस्व खाते में जो घाटा दिखाई देता है वह पांचवे वित्त आयोग के एवार्ड से सम्भवतः पूरा हो सकेगा और पूंजी खाते में जो अन्तर दिखाई देता है, उसे केन्द्रीय सरकार चुकाये जाने वाले ऋण की किस्तों में फेरबदल करके पूरा किया जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार अपनी चौथी योजना के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने की क्षमता की सीमा तक अपनी योजना के लिए प्रावधान बढ़ा सकें। चौथी योजना की असली तस्वीर हमारे सामने तभी आ सकेगी जब योजना आयोग इन मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लेगा। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में भी जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा, मैं राज्य की चौथी योजना का मसविदा सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

10. हालांकि, राज्य की चौथी योजना को मुकम्मिल रूप देना अभी बाकी है, फिर भी मैं उन मूल व अहम मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिनका हमने राज्य की चौथी योजना तैयार करते समय विशेष ध्यान रखा है। राज्य की तेजी से आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है कि अभी राज्य में जो केवल गुजारे के लिए खेती की जा रही है, उसे बहुत उन्नत और व्यावसायिक रूप दिया जाये। हमारे किसानों ने कृषि उत्पादन कार्य म नये वैज्ञानिक उपकरणों व साधनों के प्रयोग की दिशा में अधिकाधिक रुचि दिखाई है और ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाया है।

कृषि उत्पादन की तीव्र प्रगति में निश्चित सिंचाई के साधनों की कमी ही मुख्य बाधा है—विशेषकर ऐसे राज्य में जहां मानसून भरोसे के काबिल नहीं है और बराबर अनिश्चित रहता है। इसके अलावा निरन्तर अकाल की समस्या का समाधान भी कृषि उत्पादन की वर्षा पर निर्भरता कम करने से ही हो सकता है। यद्यपि पिछले 18 वर्षों म राज्य के सिंचित क्षेत्र में दुगुनी वृद्धि हुई है फिर भी अभी तक कुल सिंचित क्षेत्र फसलों के नीचे भूमि का, 15 प्रतिशत भाग ही है। ऐसी हालत में चौथी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता बड़े, मध्यम और छोटी सिंचाई कार्यों को दी जायेगी। हम अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए, इस बात का सतत प्रयत्न करेंगे कि राज्य की योजना में भू-विकास बैंकों, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन, एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और व्यवसायिक बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं से साधन जुटाकर छोटे सिंचाई कार्यों के लिए अधिक धनराशि मुहैया की जा सके। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ किसानों को ऋण की सुविधाएं दिलाने व खेती के लिए उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि आवश्यक उपकरणों की वितरण व्यवस्था में सुधार को उच्च

(श्री मथुरादास माथुर)

प्राथमिकता दी जायेगी। अब तक की प्राप्त उपलब्धियों और उत्पादन-क्षमता को आंकने के बाद हमने चौथी योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 6 प्रतिशत और अन्य व्यावसायिक उपजों में 6 से 8 प्रतिशत की प्रति वर्ष कम्पाउण्ड दर से वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

11. चौथी योजना में हमें बिजली बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना है। बिजली की खपत, जो लगभग 780 मिलियन यूनिट (किलोवाट) है, वह 1973-74 तक बढ़कर 3,000 मिलियन यूनिट (किलोवाट) हो जायेगी। इस क्षेत्र में, इसलिए, हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था में विस्तार और सुधार ज्यादा से ज्यादा किया जाय ताकि विभिन्न जरियों व खासकर राजस्थान एटोमिक पॉवर स्टेशन से प्राप्त बिजली का हम भरपूर उपयोग कर सकें। खेती को दिए जाने वाले सबसे अधिक महत्व को मद्देनजर रखते हुए चौथी योजना में कुओं में बिजली देने और कई गांव बस्तियों में बिजली पहुंचाने के कार्यों पर विशेष जोर दिया जायेगा।

12. पिछले कुछ वर्षों में बिजली की कमी, राज्य के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधा रही है। चौथी योजना के दौरान राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार आ जाने से उद्योगों में पूंजी का अधिक विनियोजन करने की फिजा बनेगी और इस स्थिति का पूरा लाभ उठाने की दृष्टि से उद्योगों को प्रोत्साहित करने की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। राजस्थान का औद्योगिक भविष्य राज्य की विविध और भरपूर खनिज सम्पत्ति के उपयोग पर निर्भर है। राज्य में फॉसफेट और पाइराइट्स के भण्डारों की खोज चौथी योजना के लिए एक शुभ लक्षण है और आने वाले वर्षों में हमें खनिजों की खोज और उपयोग के लिए तेजी से प्रयत्न करने होंगे। मुझे विश्वास है कि राजस्थानियों की व्यावसायिक काबलियत और राज्य सरकार के प्रयत्नों से, चौथी योजना के दौरान, राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति होगी।

13. माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि निरन्तर अकाल की स्थिति से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने पहले आपको यह बतलाने की चेष्टा की थी कि राज्य में खेती को मानसून पर कम से कम निर्भर करने के लिए, हमें सिंचाई के साधनों में वृद्धि करनी चाहिये, और लम्बे अर्से तक इस स्थिति से निजात पाने का यही सही तरीका है। रेगिस्तानी इलाकों में कहत-सालों के वक्त चारे और पीने के पानी की कमी के कारण लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथी योजना में हमें लोगों की इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा। राजस्थान में पीने के पानी की समस्या इतनी पेचीदा है कि हमें इसे कई मोर्चों पर हल करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। खारे पानी की पट्टी में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए हमें गांवों के समूहों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं बनानी पड़ेंगी और पास के इलाकों में पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन क्षेत्रों में जहां पानी गहराई में भी उपलब्ध है और इन्सानों और

(श्री मथुरादास माथुर)

जानवरों के पीने के योग्य है, वहां बड़ी तादाद में नलकूप खोदने होंगे। कुछ क्षेत्रों में नये कुए खोदने और पुराने कुओं को गहरा करने से भी बहुत हद तक पीने के पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। राज्य की पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए चौथी योजना में बड़े पैमाने पर देहाती जलप्रदाय योजनाओं पर अमल करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस गम्भीर समस्या के हल के लिए कोई भी कसर नहीं रखेगी। मरु क्षेत्र में चारे की कमी को दूर करने के लिये मौजूदा घास के भण्डारों में चारे को जमा करने की सुविधाओं में सुधार व विस्तार किया जायेगा और नलकूपों के आसपास नये फोडर बैंक (Fodder Bank) कायम किये जायेंगे।

14. चौथी योजना में राज्य का भविष्य आशा एवं विश्वासपूर्ण है और अगले पांच वर्ष हमारे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति व राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम होंगे।

पांचवां वित्त आयोग

15. माननीय सदस्यों को मालूम है कि भारत सरकार ने 29 फरवरी, 1968 को पांचवें वित्त आयोग की नियुक्ति की थी ताकि चौथी योजना बनाने के लिए उनको आयोग की रिपोर्ट मिल सके। आयोग ने 1969-70 के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है और 1969-70 से लगाकर 1973-74 तक के लिए अपनी पूरी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1969 तक प्रस्तुत करेगा। हमने कमीशन के सम्मुख विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है और आयोग के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है। आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य को सन् 1969-70 में अनुमानतः 32.62 करोड़ की धनराशि मिलने की सम्भावना है जिसमें 1969-70 के केन्द्र की नये टैक्सों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित नहीं है। आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में टैक्स और ड्यूटी के विभाजन के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों में कोई रद्दोबदल करने के सुझाव नहीं दिये हैं परन्तु उसने धारा 275 (1) के तहत मिलने वाली ग्रांट 6.73 करोड़ से बढ़ाकर 9.67 करोड़ कर दी है। आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसने अभी तो केवल राज्य की वर्तमान रोकड़ आवश्यकताओं को ही मोटे तौर पर आंका है और खर्चे के नये प्रस्तावों, जैसे तनख्वाह व मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी आदि के मसलों को पूरी रिपोर्ट देने तक मुल्तवी रखा है और अन्तरिम रिपोर्ट राज्य की तमाम आवश्यकताओं के बारे में आयोग का अन्तिम निर्णय नहीं है।

16. हमने पांचवें वित्त आयोग को बताया है कि राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को वह वास्तविक और उचित ढंग से आंके और आयोग का अवार्ड केवल राज्य का गैर-योजना राजस्व घाटा पूरा करने तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि उसे इतना लचीला रक्खा जावे कि आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य की नई आवश्यकताओं से पड़ने वाले बोझ को सहन करने की गुंजाइश रहे। हमने आयोग

(श्री मथुरादास माथुर)

के सामने राज्य की अहम और विशेष समस्याओं को सही ढंग से रखा है और उनका खास ध्यान रखने का आयोग से निवेदन किया है । खासतौर से हमने आयोग को बताया है कि हमारे राज्य को बार-बार सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है और समय समय पर अकाल सहायता कार्यों पर राज्य सरकार को भारी खर्चा करना पड़ता हैं । इसलिये हमने आयोग से कहा हैं कि एक तरफ तो आयोग को यह सिफारिश करनी चाहिये कि सालाना अकाल सहायता कोष में कम से कम 3.50 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाय और दूसरी तरफ अकाल सहायता कार्य के लिये मिलने वाली सहायता की प्रणाली में उचित रद्दोबदल की जाय । अकाल सहायता कोष में जमा राशि के अलावा आवश्यक खर्चे की कुल पूर्ति केन्द्र को अनुदान के रूप मे सहायता देकर पूरी करनी चाहिए और यदि यह मुमकिन न हो तो अकाल सहायता ऋण के नियमों और शर्तों में कुछ ढील दी जानी चाहिए और ऐसे ऋण को ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए । हमने कमीशन को यह भी बताया हैं कि गांवों में पीने के पानी की कठिनाई राजस्थान की सबसे जटिल व विकट समस्या है जिसके हल के लिए कमीशन राजस्थान को कम से कम 25 करोड़ रुपयों का विशेष अनुदान देने की सिफारिश करे । हमने कमीशन का ध्यान राज्यों पर तेजी से बढते हुए ऋण के बोझ की तरफ दिलाया, और मांग की है कि राज्यों की वित्तीय स्थिरता के लिए इस समस्या का सही और उचित समाधान अब टाला नहीं जाना चाहिए । इस सिलसिले में हमने यह सुझाव दिया है कि एक तरफ राज्यों की ऋण देयता में कमी की जाय और अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने की प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाय और दूसरी ओर राज्यों की ब्याज अदायगी की आवश्यकताओं का सही अनुमान किया जाकर आयोग को सिफारिशों में इन अनिवार्य व्यय के लिये पूरा प्रावधान किया जाना चाहिये ।

17. राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बार-बार परिवर्तन करने की समस्या सुरसा की तरह मुंह बाये खड़ी रहती है और राज्य के खजाने पर इसका जो भार पड़ता है उसकी तरफ भी आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है । यह एक ऐसा मसला है जिसमें केन्द्र की नीति का अनुकरण राज्यों के लिये अनिवार्य हो जाता है । इस समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम मूल्यों को बढ़ने से रोक सकें । परन्तु यदि मंहगाई भत्ता बढ़ाना हमारे लिये आवश्यक ही हो जाय तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उसका भार राज्य के सीमित वित्तीय साधनों पर नहीं पड़े । हमने आयोग को यह भी कहा है कि उनकी सिफारिशों के बाद इस कारण राज्य पर अतिरिक्त बोझ सहन करने के लिये, राज्यों को धारा 275 के अन्तर्गत आवश्यक अनुदान दिया जाना चाहिये । हमने वित्त आयोग के सामने अन्य महत्वपूर्ण समस्यायें भी रखी हैं मसलन् राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल और विरल जनसंख्या, मरुस्थल और जल-संकट, अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले यातायात सुविधाओं और साधनों का अभाव और अपेक्षाकृत सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन यूनियन एक्साइज ड्यूटी के बंटवारे के सम्बन्ध

(श्री मथुरादास माथुर)

में हमने मांग की है कि इसमें से 2/3 भाग तो आबादी के आधार पर और 1/3 भाग राज्यों की अपेक्षाकृत सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर बांटा जाना चाहिये। हमें आशा है कि पांचवां वित्त आयोग हमारी समस्याओं पर सहानुभूति-पूर्वक और मदद करने की दृष्टि से विचार करेगा और अपनी अन्तिम रिपोर्ट में गैर-योजना व्यय सम्बन्धी हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

संशोधित अनुमान 1968-69

18. अब तक मैंने राज्य की आर्थिक स्थिति, चौथी पांचसाला योजना और पांचवें वित्त आयोग की जो चर्चा की, वह अगले वर्ष के बजट के तखमीनों को समझने के लिये आवश्यक पृष्ठभूमि है। मैं 1968-69 के संशोधित अनुमान एवं सालाना योजना और 1969.70 के बजट के तखमीने और सालाना योजना को इसी क्रम में अब सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। बजट तखमीनों के शुष्क आंकड़ों के ऊंच नीच की बारीकियों और उनकी छोटी मोटी बातों का जिक्र करके मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता परन्तु कोई भी वित्त मन्त्री इन आंकडों को एक हद से ज्यादा नजर अंदाज नहीं कर सकता। फिर भी मेरी यह कोशिश होगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा संक्षेप में सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूं।

राजस्व खाता प्राप्तियां

1968-69 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व खाते में प्राप्तियों का आंकड़ा 127.78 मुकाबले अब 121.59 है। प्राप्तियों की जिन मदों में विशेष वृद्धि हुई है, वे इस प्रकार हैं:--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69
1. केन्द्रीय करों एवं ड्यूटी में हिस्सा	19.72	22.58
2. बिक्रीकर	21.25	21.76
3. ब्याज	8.67	10.20
4. अकाल सहायता के लिये अनुदान	0.50	3.65

प्राप्तियों में ब्याज के मद में यह वृद्धि, खासकर राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा एक करोड़ रुपया राज्य सरकार के लिए ऋण के ब्याज के रूप में चुकाने के कारण हुई है। अकाल सहायता के अनुदान के लिए बजट में केवल 5 लाख रुपये का प्रावधान साधारण साल की आशा से किया गया था परन्तु अकाल सहायता पर भारी खर्च होने के कारण यह उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष 3.65 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। इसके विपरीत जिन मुद्दों में प्राप्तियों की कमी हुई है, वे इस प्रकार है:--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1. भू-राजस्व	10.00	6.37
2. अन्य कर व ड्यूटी	5.06	4.57
3. भूमि की बिक्री व भू-सुधार कर	5.09	2.70

(श्री मथुरादास माथुर)

भू-राजस्व की प्राप्तियों में कमी मौजूदा अकाल की स्थिति के कारण है और भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम में कमी इसलिए हुई कि आवंटन के लिए राजस्थान नहर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन पर निर्णय लेने में विलम्ब हुआ कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन के लिए नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका इस वजह से अन्य कर व ड्यूटी के मद में आमद कम हुई।

राजस्व व्यय

20. राजस्व खाते से होने वाले व्यय के संशोधित अनुमान अब 141.87 करोड़ के मुकाबले 162.83 करोड़ है। इस असाधारण बढ़ोतरी का मुख्य कारण अकाल और बाढ़ के राहत कार्यों का व्यय है–इनके लिए बजट में केवल 1 करोड़ का प्रावधान था, परन्तु अकाल के कारण संशोधित अनुमानों में यह रकम बढ़ा कर 19.50 करोड़ करनी पड़ी। मंहगाई भत्ते की दरों में 1 सितम्बर, 1963 से वृद्धि करने के कारण सभी मदों में खर्चा बढ़ा है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मद जिनमें व्यय बढ़ा है वे इस प्रकार हैं।--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1. शिक्षा	29.19	31.77
2. राज्य आबकारी कर	1.19	1.79

शिक्षा के मद में व्यय की बढ़ोतरी पंचायत समितियों के अध्यापकों की तनख्वाह के बकाया के चुकारे व विभिन्न स्तरों के नये स्कूल खोलने के कारण है। राज्य आबकारी कर के मद में अधिक खर्च शराब की कीमतें बढ जाने की वजह से है।

पूंजी खाता

21. पूंजी खाते में व्यय बजट के तखमीनों में दिखाये गये 15.92 करोड़ रुपयों के मुकाबले संशोधित अनुमानों में 24.55 करोड़ रुपये हो गया। पूंजी खाते में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण योजना में 13.29 करोड़ के मुकाबले 22.15 करोड़ रुपये का व्यय है जो राजस्थान नहर और पौंग बांध के लिए मिली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कारण है। राज्य के व्यापारिक कार्य-क्रम के मद में खर्च में 57 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है, इसके मुकाबले जागीर मुआवजे की देनदारी में 1.22 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

22. पब्लिक डेट में शुद्ध प्राप्तियों के आंकड़े बजट तखमीनों में 18.09 करोड़ रुपये के मुकाबले संशोधित अनुमानों में 55.48 करोड़ रुपये हैं। विशेष वृद्धि योजना के लिए मिलने वाले ऋण के कारण है जो व्यास एवं राजस्थान नहर परियोजना के प्रावधान बढ़ जाने से हुई है। इसके अलावा अकाल सहायता के लिए भारत सरकार से मिले ऋण और बजट के घाटे को पूरा करने के लिये मिलने वाले एडहाक ऋण, इस बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण हैं। यह अनुमान इस आधार पर हैं कि इस वर्ष भारत सरकार से हमें 36 करोड़ रुपये का एडहॉक ऋण मिलेगा। इस एडहॉक ऋण की आवश्यकता पिछले वर्ष के बजट के घाटे का

(श्री मथुरादास माथुर)

बाकी रहना, सार्वजनिक ऋण के चुकारे के लिए भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान की आशा पूरी न होना एवहूॉक ऋण के चुकारे की शर्तों में परिवर्तन न होना और अकाल के कारण भू-राजस्व से प्राप्तियां व ऋणों की वसूली में कमी होना है।

23. सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम के लिए बजट में 6.39 करोड रुपये का प्रावधान था, जिसके मुकाबले अब शुद्ध संवितरण (net disbursement) 16.93 करोड रुपये होगा। इसमें गिरावट का मुख्य कारण यह है कि अच्छी फसल की उम्मीद पर ऋण की काफी वसूली का अनुमान था, परन्तु अकाल के कारण यह आशा पूरी नहीं हुई।

24. सार्वजनिक खाते में शुद्ध सरप्लस पूर्व अनुमानों के अनुसार 17.68 करोड रुपये था, जो अब बढ़ कर संशोधित अनुमानों मे 19.12 करोड रुपये हो गया। इसमें सुधार राज्य के बीमा फण्ड में जमा रकम 1.88 करोड रुपया से 2.60 करोड रुपया हो जाने के कारण है।

कुल स्थिति

25. संशोधित अनुमानों को कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार है। राजस्व खाते में कुल घाटा 14.09 करोड से बढ़ कर 33.21 करोड रुपये हो गया। पूंजी खाते में व्यय 24.55 करोड रुपये है और सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम का शुद्ध संवितरण (net disbursement) 16.93 करोड रुपये है। पूंजी खाते में शुद्ध प्राप्तियां, पब्लिक डेट में 55.48 करोड रुपये और सार्वजनिक खाते में 19.12 करोड रुपये हैं। पूंजी खाते में इस प्रकार 33.12 करोड रुपये का सरप्लस है जब कि बजट अनुमानों में यह रकम केवल 13.46 करोड थी। राजस्व व पूंजी खातों की स्थिति कुल मिलाकर देखने पर संशोधित अनुमानों में 12 लाख रुपये का घाटा है जबकि बजट तखमीने में यह घाटा 63 लाख रुपये का दिखाया गया था।

सालाना योजना 1968-69

26. माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि सन् 1968-69 की सालाना योजना के लिए 40.08 करोड का प्रस्ताव करते समय मैंने आशा व्यक्त की थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनिंदा बड़े सिंचाई बांधों के काम में तेजी लाने के लिए निर्धारित 25 करोड की रकम में से राजस्थान नहर और पौंग बांधों के लिए हमें कम से कम 7 करोड की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिल सकेगी। प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त सहायता के रूप में इन दो परियोजनाओं के लिए 6.22 करोड रुपये स्वीकृत किया था, इसमें से 3.50 करोड तो राजस्थान नहर के लिए और 2.72 करोड पौंग बांध के लिए था। इसके बाद पौंग बांध पर बढ़े हुए खर्च को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने लगभग 2.12 करोड की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का संकेत दिया है। इस प्रकार इन दो परियोजनाओं के लिए कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 8.34 करोड तक मिल जाने की सम्भावना है। हम केन्द्रीय सरकार की इस उदार सहायता के लिए आभारी हैं, जिससे कि इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम को गति मिली है। 40.08 करोड रुपये की सालाना योजना में, शहरी जल प्रदाय और बिजली की

(श्री मथुरादास माथुर)
योजनाओं के लिये लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से मिलने वाला 2 करोड का ऋण भी सम्मिलित था। लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ने इस वर्ष 2.07 करोड का ऋण स्वीकृत किया है और इस वजह से भी सालाना योजना के लिए निर्धारित धनराशि में थोड़ी बढोत्तरी हुई है। इस प्रकार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से ऋण मिल जाने के परिणामस्वरूप इस वर्ष की योजना 48.49 करोड़ रुपये की हो गई है। संशोधित अनुमानों के मुताबिक इस साल योजना सीमा से 30 लाख रुपया अतिरिक्त खर्च होने की सम्भावना है।

27. अब मैं सदन को इस वर्ष विकास के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। पहले की तरह खेती को उच्च प्राथमिकता दी गई और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में तेजी लाई गई। पैदावार अधिक बढ़ाने वाली किस्मों का क्षेत्रफल 1967-63 में 4.10 लाख एकड़ से बढ़कर सन् 1968-69 में 7.50 लाख एकड़ हो गया। खाद की खपत बढ़कर 1.59 लाख टन हो गई और लगभग 66.40 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पौध संरक्षण का कार्य किया गया। इस वर्ष सिंचाई की बढ़ी हुई सुविधाओं और ऊपर बताये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्नों में 3.24 लाख टन, तिलहन में 0.30 लाख टन, रूई में 0.39 लाख गांठें और गन्ने (गुड़) में 0.27 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता पैदा की गयी। सहकारिता के क्षेत्र में 1426 समितियों का पुनर्गठन और जीर्णोद्धार किया गया और अल्प और मध्यमकालीन ऋणों के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपये वितरित किये गये, जो एक रिकार्ड है।

28. राजस्थान नहर, पोंग बांध और अन्य चालू बड़े, मध्यम बांधों के कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इनके अलावा तीन नई सिंचाई परियोजनायें जाखम, सांई डाईवर्जन और नैनपुरा पर काम शुरू किया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले 1968-69 में सिंचाई का कुल क्षेत्रफल 3.17 लाख एकड़ बढ़ गया है।

29. राणाप्रताप सागर के तीन यूनिटों के चालू होने से और सतपुड़ा परियोजना पूरी हो जाने से इस वर्ष हमें मिलने वाली बिजली में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1967-68 में हमें 127 मेगावाट बिजली (फर्म पॉवर) उपलब्ध थी अब वह बढ़कर 1968-69 में 233 मेगावाट हो गयी है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और फैलाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और सीकर, खेतड़ी व भीलवाड़ा में सब-स्टेशनों पर इस वर्ष के अन्त तक कार्य पूरा हो जायेगा। इस वर्ष देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्य पर भी जोर दिया गया और करीब 439 नयी बस्तियों में बिजली पहुंचाना सम्भव होगा और वर्ष के अन्त तक 5000 कुओं को बिजली दी जा सकेगी।

30. सारे राज्य में शिक्षण संस्थाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षा के विस्तार का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया। 196 प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में और 111 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया। इसके अलावा राज्य में दो नये कालेजों की स्थापना

(श्री मथुरादास माथुर)

की गई। 6 से 11, 11 से 14 और 14 से 17 वर्ष की आयु के कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो क्रमशः पिछले वर्ष 54.5, 22.9 और 10.6 था, वह बढ़कर इस वर्ष क्रमशः 56.5, 23.3 और 11.00 हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष 200 अतिरिक्त रोगी शैयाओं को मुहैया किया गया और 50 नयी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों की स्थापना की आशा है।

31. मैं सदन को यह जानकारी देना पसंद करूंगा कि योजना की गतिविधियों के अलावा इस वर्ष हमने अकाल सहायता के अन्तर्गत बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। इस वर्ष लगभग 10.50 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होने की सम्भावना है। आशा है कि इससे 1780 मील ग्रेवल और 100 मील मैटल सड़कों का निर्माण हो जायेगा। अकाल सहायता कार्य-क्रम के अन्तर्गत 400 छोटी सिंचाई की स्कीमों पर काम शुरू किया गया और वर्ष के अन्त तक 25 पर कार्य पूरे हो जायेंगे। लगभग 40,000 एकड़ भूमि में भू-संरक्षण कार्य किया जायेगा। इस वर्ष के अकाल की अवधि में रेगिस्तानी क्षेत्र में 60 नल कूप खोदे जायेंगे। हालांकि, इनमें कुछ कामों से, हमें योजना के अन्तर्गत चालू किये कामों के बराबर, आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा परन्तु मेरी निश्चित राय है कि अकाल सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये गये कार्यों से राज्य के विकास में काफी मदद मिलेगी।

बजट के तखमीने 1969-70

32. अब मैं 1969-70 के बजट के तखमीने के बारे में कहूंगा। बजट तखमीनों का ब्यौरा बताने के पहले मैं उन दो बड़ी अनिश्चितताओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनकी प्रतिच्छाया में मुझे बजट के तखमीने तैयार करने पड़े हैं। एक तो वित्त आयोग की सिफारिशें अभी हमें नहीं मिली हैं और उसकी जानकारी 31 जुलाई, 1969 के बाद मिलेगी। दूसरे केन्द्रीय सरकार ने अभी तक ऋण की किश्तों के चुकारे की अवधि में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया है। उप प्रधान मन्त्री ने अपने बजट भाषण में केवल यही कहा है कि केन्द्रीय बजट में राज्यों के ऋणों के चुकारे के सम्बन्ध में सहूलियतें देने के उद्देश्य से कुछ रकम का प्रावधान किया है, ताकि राज्य अगले वर्ष चौथी योजना को संतोषजनक ढंग से चला सकें।

राजस्व खाता प्राप्तियां

33. 1969-70 में राजस्व से प्राप्तियां 144.53 करोड़ आंकी गयी है। केन्द्रीय करों और ड्यूटी तथा वित्त आयोग की अन्तरिम सिफारिश के अनुसार धारा 257 (1) ग्रान्ट मिलाकर राज्य को 32.62 करोड़ की रकम प्राप्त होगी। केन्द्र अकाल सहायता के लिये अनुदान सहायता 7 करोड़ देगा। योजना में राज्य और केन्द्र संचालित स्कीमों के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान 20.64 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। राज्य को आबकारी ड्यूटी से होने वाली प्राप्तियों में कमी होगी, क्योंकि राज्य की मद्यनिषेध की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अगले वर्ष हर हफ्ते में दो दिन शराब की दुकानें बन्द करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में अगले वर्ष, इस मद में,

(श्री मथुरादास माथुर)

मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमान 9 करोड़ के मुकाबले, 7 20 करोड़ की प्राप्ति होगी।

राजस्व व्यय

34. सन् 1969–70 में राजस्व खाते में होने वाला व्यय 174.34 करोड़ है। इसमें गैर-योजना व्यय 157.68 करोड़ है, और योजना व्यय, जिसमें राज्य और केन्द्र संचालित स्कीमें दोनों शामिल हैं, 16.66 करोड़ है। गैर-योजना व्यय मे यह 8.51 करोड़ की रकम शामिल है, जो इस साल की योजना के राजस्व व्यय का कमीटेड खर्च है। राणावत पे कमीशन की शिफारिशों के अनुसार 1 सितम्बर, 1968 से लागू नई वेतन शृंखला के चुकारे के कारण 5 करोड़ अतिरिक्त व्यय होगा जिसमें इस वर्ष के 6 महीनों की तनख्वाह की बकाया 1.75 करोड शामिल है। राजस्व खाते से अकाल सहायता कार्यों पर व्यय 19 करोड रुपये होगा।

कुल स्थिति

35. इस प्रकार राजस्व खाते में प्राप्तियां 144.53 करोड़ है और राजस्व व्यय 174.34 करोड है। इस प्रकार राजस्व खाते में अगले वर्ष 29.81 का घाटा रहेगा। अकाल सहायता व्यय के लिए 12.07 करोड की ऋण सहायता मिलेगी और यह रकम पूंजी खाते में दिखायी गयी है। इसी प्रकार योजना के लिए राजस्व खाते में दिखाया गया 3.98 करोड़ का अनुदान पूंजी खाते में खर्च होगा। अगर हम खर्च इन दो मुद्दों का राजस्व खाते में शुमार नहीं करें तो इस खाते में असली घाटा 21.72 करोड रह जाता है। केन्द्रीय बजट में लगाये गये नये करों के फलस्वरूप राज्यों को 27 करोड की अतिरिक्त आय होगी जिसमें से हमें 1.27 करोड रुपये मिलने की आशा है। इस प्रकार वास्तविक राजस्व घाटा 20.45 करोड रहेगा। हम यह मान कर चले हैं कि वित्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों से हमें इतनी रकम मिल जायगी और इस प्रकार राजस्व खाते में हमारा दिखाई पड़ने वाला घाटा पूरा हो जायगा। इस प्रकार हमारा राजस्व खाता पूर्ण रूप से सन्तुलित हो जावेगा।

पूंजी खाता व सार्वजनिक खाता

36. पूंजी खाते में कुल संवितरण (डिसबर्समेण्ट) 70.04 करोड के होंगे जिसमे मुख्य मद इस प्रकार हैं:—

संवितरण
(Disbursement)

(रुपये करोडों में)

(1) सार्वजनिक ऋण का चुकारा	5.09
(2) केन्द्रीय सरकार के ऋणों का चुकारा	20.73
(3) स्वायत्त संस्थाओं के ऋणों का चुकारा	0.61
(4) जागीर बाण्ड का चुकारा	2.25
(5) पूंजी खाते में व्यय :	
(क) योजना	18 23
(ख) गैर-योजना	1.38

(श्री मथुरादास माथुर)

(6) राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम का संवितरण (डिसबर्समेन्ट):

(क) योजना	16.38
(ख) गैर योजना	5.34
कुल ..	70.04

प्राप्तियां

37. इसके मुकाबले पूंजी खाते में प्राप्तियां 78.13 करोड़ की होंगी, जो इस प्रकार हैं:—

(रुपये करोड़ों में)

(1) सार्वजनिक ऋण	7.00
(2) केन्द्रीय सरकार के ऋण:	
(क) योजना	29.59
(ख) गैर योजना (अकाल सहायता के अतिरिक्त	2.36
(ग) अकाल सहायता	12.07
(3) स्वायत्त संस्थाओं से ऋण (योजना व्यय के लिए)	1.13
(4) अल्प बचत में राज्य का हिस्सा	2.50
(5) ऋण व अग्रिम की वसूली	9.41
(6) सार्वजनिक खाते में शुद्ध प्राप्ति (संवितरण के शामिल)	13.27
(7) जारी किये जाने वाले जागीर बांड	0.80
कुल ..	78.13

कुल स्थिति

38. इन अनुमानों के आधार पर पूंजी खाते में ऊपरी तौर से 8.09 करोड़ का सरप्लस दिखेगा परन्तु जैसा कि राजस्व खाते की चर्चा के समय मैंने बताया था, अकाल सहायता के लिये मिलने वाले 12.07 करोड़ ऋण का खर्च राजस्व खाते में दिखाया गया है और इसी प्रकार योजना में 3.98 करोड़ का पूंजी व्यय राजस्व खाते में मिलने वाले अनुदान से पूरा होगा। अतः यदि, यह दोनों आइटम पूंजी खाते से निकाल दिये जाते हैं, जैसा कि उचित ही है, तो पूंजी खाता बिल्कुल सन्तुलित दिखाई देगा। यह बताना यहां उचित होगा कि अगले वर्ष केन्द्रीय ऋणों की देनदारी वर्तमान दर व शर्तों के अनुसार 44.73 करोड़ है जिसकी तुलना में केवल 20.73 करोड़ के चुकारे का प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि ऋणों के चुकारे की किश्तों में परिवर्तन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

पब्लिक डेट

39. मैं अब सदन के सम्मुख पब्लिक डेट की स्थिति रखूंगा। 31 मार्च, 1969 तक कुल राज्य का पब्लिक डेट लगभग 500 करोड़ होगा जिसमें सार्वजनिक ऋण जागीर मुआवजे की देनदारी और केन्द्रीय सरकार व स्वायत्त संस्थाओं से लिये गये ऋण शामिल हैं। यह कर्ज मुख्य रूप से

(श्री मथुरादास माथुर)

केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों के कारण है जो करीब 432 करोड़ है। यह देनदारी ज्यादातर विकास कार्य-क्रम हेतु लिये गये ऋणों की वजह से है किन्तु इसमें 34.41 करोड़ अकाल सहायता के ऋण और 74.30 करोड़ एडहाक ऋण भी शामिल हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान बनने के समय राज्य में विकास के मूलभूत आधार ही नहीं थे जिसके कारण सिचाई, बिजली व यातायात के साधनों के विकास के लिये बड़ी मात्रा पूंजी विनियोजन करना पड़ा। यह सब पूंजी व्यय होने के कारण इनके लिये केन्द्र से ऋण के रूप में ही सहायता मिल सकी। योजना के लिये केन्द्रीय सहायता की प्रणाली भी ऐसी ही थी जिसमें उन राज्यों को जो अपने साधन योजना के लिये लगाने में समर्थ नहीं थे, अधिकतर सहायता ऋण के रूप में मिलती थी। इस प्रणाली का अनुचित होना स्वयं केन्द्रीय सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय लिया है कि योजना के लिये केन्द्रीय सहायता में अनुदान और ऋण का अनुपात सभी राज्यों के लिये बराबर होगा। इसके फलस्वरूप, ऐसी आशा है, कि योजना सहायता में अनुदान का अनुपात जो पहले 12 से 14 प्रतिशत रहता था, अब बढ़कर 30 प्रतिशत हो जावेगा। जहां तक अकाल सहायता व एडहॉक ऋण का प्रश्न है, यह समय समय पर बजट के घाटे की पूर्ति तथा अकाल सहायता कार्य-क्रम के खर्च के लिये लेने पड़े। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में बारबार वृद्धि से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझा पड़ा है और 1966-67 से लेकर 1968-69 तक तीन वर्षों में ही राज्य पर इस कारण 32 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा है। वर्षा के अभाव के कारण 1963, 1965, 1966 और 1968 में बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति पैदा हुई जिसका मुकाबला करने के लिये सरकार को बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ा। परन्तु वर्तमान सहायता की प्रणाली के अनुसार अधिकतर केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में आई। मुझे विश्वास है, कि माननीय सदस्य राज्य के पब्लिक डेट की स्थिति पर विचार करते समय, इन सब बातों को मद्दे नजर रखेंगे।

बजट की कुल स्थिति

40. राजस्व और पूंजी खाते मिला कर बजट में कुल 20.45 करोड़ का घाटा दिखाई देता है। ऐसी उम्मीद है कि राजस्व खाते का घाटा वित्त आयोग के एवार्ड से पूरा हो जायेगा और पूंजी खाते में केन्द्रीय ऋण के चुकारे की किश्तों में उचित परिवर्तन कर दिया जायेगा। इस प्रकार बजट पूर्ण रूप से सन्तुलित हो जायेगा।

41. 1969-70 की सालाना योजना की चर्चा करने के पहले मैं सदन को सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देना चाहूंगा।

राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहें

42. राज्य कर्मचारियों के लिये नये वेतनमान लागू करने से वित्तीय स्थिति पर पड़े प्रभाव का थोड़ा जिक्र मैंने पहले किया है। हालांकि पे कमीशन की रिपोर्ट और राज्य सरकार के निर्णयों पर सदन में पहले भी

(श्री मथुरादास माथुर)

चर्चा हो चुकी है, फिर भी यहां इस बात का जिक्र करना उचित है कि हाल ही में राजस्थान सिविल सर्विसेज (न्यू पे स्केल) रूल्स लागू करने से इस कार्य को अन्तिम रुप दे दिया गया है। नई वेतन शृंखला में न्यूनतम और अधिकतम ग्रेड में काफी सुधार हुआ है और अधिकतर वेतन शृंखलाओं में तरक्की की दरें काफी बढ़ी हैं।

43. भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुरूप राज्य में भी 1-9-1968 से मंहगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है।

44. इस अवसर पर यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने 499 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का कुछ भाग 1 दिसम्बर, 1968 से वेतन के रूप में मान लिये जाने का निर्णय ले लिया है। इसका लाभ कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी, प्राविडेंट फण्ड, मकान किराया भत्ता और शहरी भत्ता इत्यादि में मिलेगा। राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि यह लाभ 499 रुपये से अधिक तनख्वाह पाने वाले को भी दिया जाय, क्योंकि इस श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में जीवन निर्वाह सूचक अंकों के आधार पर उतार-चढ़ाव नहीं होता।

45. नयी वेतन शृंखलाएं और मंहगाई भत्ते के कुछ भाग को तनख्वाह में जोड़ देने से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह भारत सरकार और अन्य राज्यों के कर्मचारियों के मुकाबले काफी हद तक अच्छी हो जावेगी। इस बारे में यहां तमाम तुलनात्मक आंकड़ें देना संभव नहीं है। परन्तु कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी, मिनिस्टीरीयल और अधीनस्थ सेवा की कई श्रेणियों के कर्मचारियों को आज वेतन और अन्य लाभ मिला कर जितनी रकम मिलती है, उसे काफी सन्तोषजनक कहा जा सकता है राज्य के अध्यापकों को आमतौर पर शिक्षा आयोग द्वारा की गयी सिफारिश से अधिक वेतन मिलता है। राज्य के उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन के स्तर के बहुत करीब तक पहुंच गये हैं। राज्य की प्रमुख सेवाओं में सीधे भर्ती होने वालों को प्रारम्भिक वेतन 375 रुपया दिया जाता है, जब कि केन्द्रीय सरकार की पहली श्रेणी के कर्मचारियों को प्रारम्भिक तनख्वाह 400 रुपये मिलती है।

46. राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने से राज्य कोष पर 3.5 करोड़ का सालाना अतिरिक्त भार बढ़ेगा। मंहगाई भत्ते का कुछ अंश वेतन में मिला देने से पेन्शन और ग्रेच्युटी का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा इस कारण मकान किराया और दैनिक भत्ता आदि में भी अधिक खर्चा होने से 1969-70 में 15 लाख के अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। परन्तु पेन्शन और ग्रेच्युटी की देयता आने वाले वर्षो में बढ़ेगी क्योंकि कर्मचारीगण अच्छे वेतन और मंहगाई वेतन पाने के बाद रिटायर होंगे और इस प्रकार इस निर्णय के कारण भविष्य में भार अधिक होगा।

चुंगी की समाप्ति

47. सदन को मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने चुंगी खतम करने का निश्चय किया है। चुंगी अधिकांशतः

(श्री मथुरादास माथुर)

म्युनिसिपैलिटियों और कुछ पंचायतों द्वारा वसूल की जाती है। चुंगी एक पुराने किस्म का टैक्स है और इससे माल के आवागमन में बहुत रुकावट आती है। खासतौर पर इस जमाने में जब कि सड़क यातायात का तेजी से विकास हो रहा है चुंगी के कारण माल लाने, ले जाने में कठिनाई और रुकावट पैदा होने लगी है। यह प्रस्ताव है कि बिक्री कर चुकाने वाले व्यापारी से ही टर्न-ओवर टैक्स लिया जाय और प्रशासनिक खर्च काट कर यह सारी रकम म्युनिसिपैलिटियों को और उन पंचायतों को जिनमें चुंगी लगी हुई है, दे दी जाय। हर एक पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को उन्हें 1967-68 में चुंगी से होने वाली आय या 1 अप्रेल, 1968 के पहले तीन वर्षों में इससे हुई औसत आय में से जो भी ज्यादा रकम हो, गारन्टी की जायगी। यदि टर्न-ओवर टैक्स से आय कुल गारन्टी शुदा रकम से अधिक होगी तो वह इन स्थानीय संस्थाओं में उसी अनुपात में बांटी जायगी जो अनुपात उनकी गारन्टी का कुल गारन्टी की हुई रकम से है। इस तरह म्युनिसिपैलिटियों और कुछ पंचायतों का आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए टर्न-ओवर टैक्स से लाभ होगा। उन पंचायतों में, जहां चुंगी नहीं ली जाती है, वहां के व्यापारियों से वसूल किये गये टर्न ओवर टैक्स की रकम इकट्ठी करली जायेगी और ऐसी पंचायतों की आबादी के अनुसार बांट दी जायगी। इस सम्बन्ध में मैं इसी सत्र में सदन के सम्मुख विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

सालाना योजना 1969-70

48. योजना आयोग द्वारा राज्य की 1969-70 की सालाना योजना के लिये 38.90 करोड़ की सहायता मिलने का संकेत मिला है। हमारा अनुमान है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमें 5.20 करोड़ रुपया शहरी जल प्रदाय, बिजली, गृह निर्माण एवं सहकारी क्षेत्र की योजनाओं के लिये और मुहैया हो जायगा। इस प्रकार बजट तखमीनों के अनुसार योजना का आकार 4 .10 करोड़ का है। यह जाहिर है कि इस सालाना योजना का प्रावधान बमुकाबले पिछले साल के 48.79 करोड़ के खर्च से कम है। और इसलिये सीमित साधनों को मद्देनजर रखते हुए नये कार्यक्रमों को हाथ में लेना हमारे लिये, बहुत कम सम्भव होगा। चालू सिंचाई एवं बिजली की योजनाओं के लिये हमारी जिम्मेदारी को पूरा करने में ही हमें कुल निर्धारित धनराशि का 70 प्रतिशत व्यय करना पड़ेगा। अन्य क्षेत्रों के लिये सालाना योजना में निर्धारित धन राशि केवल उतनी ही रखी जा सकी है, जो विकास के कामों की मौजूदा गति को बनाये रख सके और चौथी योजना में रखे गये अधिकतर नये प्रस्तावों को अगले वर्षों के लिये मुल्तवी करना पड़ा। राज्य के सीमित साधनों के बावजूद भी कृषि, सिंचाई, बिजली और देहातों में पानी की व्यवस्था के कार्यक्रमों को इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

कृषि

49. खाद्यान्नों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के आविष्कार के बाद खेती की पैदावार अधिकाधिक बढ़ाने को नयी सम्भावनाएं पैदा हो गयी है। इसलिये अगले वर्ष में विशेष प्रयत्न इन उन्नत बीजों के

(श्री मथुरादास माथुर)

क्षेत्र में विस्तार और इसके लिये आवश्यक सुविधायें एवं साधनों को मुहैया करने पर किया जायेगा। अधिक उपज देने वाले बीजों के क्षेत्रफल में इस वर्ष की 7.50 लाख एकड़ की संभावित उपलब्धि के मुकाबले अगले वर्ष 14 लाख एकड़ का लक्ष्य है। इस वर्ष रासायनिक खाद की खपत जो 1.59 लाख टन ही है, वह 1969-70 में बढ़कर 4 लाख टन हो जायेगी। इसी प्रकार पौध संरक्षण यूनिटों को सुदृढ़ करने और हवाई जहाजों द्वारा दवा छिड़कने के काम को बढ़ाने से पौध संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र 66 लाख एकड़ से बढ़ कर 1969-70 में 76 लाख एकड़ कर दिया जायगा। 1969-70 में एक लाख एकड़ क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप और सिंचाई के रकबे में बढ़ोतरी होने से अनुमान किया जाता है कि अगले वर्ष खाद्यान्नों में 5.60 लाख टन तिलहन में 0.30 लाख टन रूई में 0,40 लाख गांठें, गन्ने (गुड़) में 0.15 लाख टन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा की जा सकेगी।

लघु सिंचाई

50. हमारी यह सतत चेष्टा रही है कि छोटे सिंचाई के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाय। हमने भूमि विकास बैंकों के 43 लाख रुपयों के डिबेन्चर खरीदने का प्रावधान रखा है जिससे 3 करोड़ के ऋण देने के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकेगा। इसी प्रकार हम इस बात की भी कोशिश करते रहे हैं कि एग्रीकल्चरल रिफाईनेंस कारपोरेशन द्वारा अधिक सहायता प्राप्त की जाय और कृषि विभाग में इस कार्य के लिये कायम की गयी सैल ने कई स्कीमों को अन्तिम रूप दे दिया है। 15 लाख की पूंजी लागत से हम आशा करते हैं कि इस संस्था की मदद से अगले वर्ष हम 0 लाख की लागत के प्रोग्रामों पर अमल कर पायेंगे। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन की स्थापना करने के सरकार के निर्णय की चर्चा की थी। प्रस्तावित कारपोरेशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी कायम की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट पेश करदी है और वह राज्य सरकार के विचाराधीन है। हमें आशा है कि यह कारपोरेशन जल्दी ही कायम हो जायेगी जिससे किसानों को हायर परचेज पद्धति से पंपिंग सेट लगाने में व्यापक सहायता मिलेगी।

51. मेरे ख्याल में व्यावसायिक बैंकों को खेती की पैदावार बढ़ाने के कार्य में बहुत कुछ करना है और मैंने अपने पिछले बजट भाषण में ऐसे कदम उठाने का जिक्र किया था ताकि जरूरत मंद किसानों में ऋण वितरण करने के विभिन्न बैंकों के कामों में तालमेल बिठाया जा सके। चूंकि यह कार्यक्रम नया था और व्यावसायिक बैंकों के पास इस कार्यक्रम को अमल में लाने की सुविधाएं सीमित थीं, अतः इस वर्ष केवल 1 करोड़ के ऋण ही स्वीकृत किये जा सके हैं। मैं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हूं और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हूं कि जिससे जरूरतमंद किसानों द्वारा प्रस्तुत

(श्री मथुरादास माथुर)

दरख्वास्तों पर शीघ्र कार्यवाही हो और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस स्रोत से शीघ्र और अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष इस स्रोत से किसानों को 3 करोड़ तक ऋण के रूप में सहायता मिल सकेगी। इस तरह राज्य की योजना के लिये बजट में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए जो 158.50 लाख की धनराशि के मुकाबले, मुझे विश्वास है कि इस प्रोग्राम पर कुल खर्च लगभग 9 करोड़ होगा।

पशु पालन

52. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशु पालन के विकास में मुख्य बाधा दूध के मार-केटिंग की है। बीकानेर क्षेत्र में दूध की बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि वहां का दूध दिल्ली भेजा जाता है। जोधपुर क्षेत्र में दूध की बिक्री की व्यवस्था करने तथा इस शहर को दूध सप्लाई की सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चौथी योजना काल में जोधपुर में दूध सप्लाई स्कीम चालू करने का निश्चय किया है। इस प्रोजेक्ट पर अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

ऊन बोर्ड

53. माननीय सदस्यों को मालूम है कि राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास निधि की सहायता से एकीकृत भेड़ व ऊन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका एक मुख्य अंग ऊन का वर्गीकरण व बिक्री है। जो कि असल में एक व्यावसायिक कारोबार है। सरकार का यह मत है कि ऐसे व्यावसायिक कारोबार को एक स्वाधीन संस्था द्वारा अधिक कुशलता से चलाया जा सकता है। अतः यह निर्णय किया गया है कि एक वैधानिक ऊन बोर्ड का गठन किया जाय, जो भेड़ व ऊन विभाग के वर्तमान कार्यों को सम्भालेगा। सरकार इसके लिये आवश्यक विधेयक चालू सत्र में ही प्रस्तुत करने का विचार रखती है।

सहकारिता

54. किसानों द्वारा खेती में वैज्ञानिक तकनीक अपनाने के लिये पहली आवश्यक शर्त यह है कि उन्हें ऋण की सुविधाएं मुहैया करायी जायें। हमारे राज्य में सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि इस आन्दोलन को सुदृढ़ बनाया जाय और इसमें नयी जान फूंकी जाय। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को पुनः संगठित करने के कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है और आशा की जाती है कि अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक बहुत हद तक इस काम को पूरा किया जा सकेगा। अपेक्षाकृत कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनः संस्थापित किया जायेगा। ताकि रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की सीमा का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। मौजूदा अकाल द्वारा धक्का लगने के बावजूद उम्मीद है कि सहकारी बैंकों द्वारा अगले वर्ष अल्प और मध्य-कालीन ऋण के अन्तर्गत 14 करोड़ रुपये बांटे जा सकेंगे जिसकी मिकदार इस वर्ष 12 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

एग्रीकल्चर क्रेडिट कोरपोरेशन

55. ऐसा अनुभव किया जाता है कि अकेले सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को

(श्री मथुरादास माथुर)

ऋण सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग को अगले कुछ वर्षों तक पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा अतः यह जरूरी है कि इस कार्य के लिये एक ऐसी अन्य संस्था बनायी जाय जो सहकारी संस्थाओं के साधनों का अनुपूरण (Supplement) करे। इसलिये यह तय किया गया कि राज्य में एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट कारपोरेशन कायम किया जाय जिसमें भारत सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ राज्य सरकार भी साझेदार होगी। इस संस्था का कार्य उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जायेगा, जहां एक ओर सहकारी आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर है और दूसरी तरफ कृषि विकास की क्षमता अच्छी है। हम ऐसी व्यवस्था बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं जिससे इस कारपोरेशन की गतिविधियों के कारण सहकारी आन्दोलन के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो और कारपोरेशन का काम भविष्य में ऐसे क्षेत्रों से हटाया जा सके जहां सहकारी संस्थाएं पूरा उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम हो जायें। संसद ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून पास कर दिया है और सरकार उसे इस राज्य में शीघ्र लागू करने का इरादा रखती है। सालाना योजना में इस कारपोरेशन में राज्य की हिस्सा पूंजी के लिये 10 लाख का प्रावधान रखा गया है। ऐसी उम्मीद है कि यह कारपोरेशन अगली रबी की फसल से कार्य प्रारम्भ कर देगा।

सिंचाई

56. माननीय सदस्यों को याद होगा कि राजस्थान नहर के प्रावधान को लेकर इस वर्ष काफी अनिश्चितता रही और भारत सरकार की उदार सहायता के फलस्वरूप ही यह धनराशि 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5.75 करना संभव हो सका। राज्य की अर्थ व्यवस्था में इस योजना के महत्व को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया की जानी चाहिये ताकि धन की कमी के कारण इस योजना के कार्य में रुकावट न आने पाये और इसलिये राजस्थान कैनाल के लिये अगले वर्ष की सालाना योजना में खर्च के लिये 6 करोड़ का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है इससे 90 मील तक मुख्य नहर के कार्य को पूरा किया जा सकेगा और स्टेज I की वितरण व्यवस्था का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो सकेगा। इस वर्ष बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस स्कीम का लग-भग 40 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया जायेगा। राजस्थान कैनाल से सिंचित रकबा इस वर्ष के 1.92 लाख एकड़ से बढ़कर 1969-70 में 2.65 लाख एकड़ हो जाने की सम्भावना है।

57. इसके अलावा अन्य बड़े और मध्यम सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में विशेष तौर पर इस बात की कोशिश की जायेगी कि चालू योजनाओं पर काम को जल्दी से पूरा किया जाय और इस वर्ष चालू किये गये, सांई डाइवर्सन, जोखम और जेतपुरा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जायेगी। भरतपुर शहर और आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिये कई काम हाथ में लिये गये हैं और उनको शीघ्र

(श्री माथुरादास माथुर)

पूरा करने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ से बचाव करने के कार्यों के लिये लगभग 1 करोड का प्रावधान किया गया है। सन् 1968-69 में बड़े और मध्यम सिचाई बांधों से 15.20 लाख एकड भूमि में सिंचाई हुई है वह 1969-70 में बढ कर 16.45 लाख एकड हो जाने की सम्भावना है।

विद्युत्

58. राणाप्रताप सागर प्रोजेक्ट अगले वर्ष पूरा हो जायेगा और जवाहर सागर से हमें 1970-71 में लाभ मिलने लगेगा। विभिन्न स्रोतों से हमारे राज्य को विद्युत् शक्ति की अधिक उपलब्धि, और आने वाले वर्षों में राजस्थान एटोमिक पावर स्टेशन से अधिक बिजली मिलने के कारण, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम एकदम जरूरी हो गया है। चम्बल ट्रान्समिशन स्टेज 2, सिरसा-हनुमानगढ़ और हिसार-खेतड़ी पर कार्य अगले वर्ष पूरा हो जायेगा और इसके साथ साथ भरतपुर, पाली, जोधपुर, जयपुर व हनुमानगढ़ के सब-स्टेशन भी अगले वर्ष तक पूरे हो जावेंगे। राजस्थान एटोमिक पावर स्टेशन से जयपुर तक 220 के. वी. डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन डालने के कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है और यह लाइन सन् 1970-71 में एटोमिक पावर प्लान्ट चालू होने के पहले ही पूरी हो जाने की आशा है। अधिक बिजली उपलब्ध होने के कारण सब ट्रान्समिशन सिस्टम को फैलाने और सशक्त करने के अत्यधिक प्रयत्न किये जावेंगे। हमें इस वर्ष कुल 233 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। वह अगले वर्ष बढ़कर 244 मेगावाट हो जायेगी और बिजली की खपत सन् 1968-69 में 780 मिलियन यूनिट से बढ़कर 1969-70 में 1,090 मिलियन यूनिट हो जायेगी।

उद्योग व खनिज

59. बिजली की स्थिति में सुधार आने से राज्य के औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण पैदा हो जावेगा। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन की स्थापना के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को और तेज किया जा सकेगा। उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली प्रवृत्तियों को बढाने और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का कार्य करने के अलावा यह कार्पोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले डूंगरपुर में मांडों-की-पाल के फ्लोराइट बेनीफिशियेशन प्लान्ट और टोंक के लेदर टैनरी के उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लेगा। राज्य सरकार चौथी योजना के दौरान इस कार्पोरेशन को उपरोक्त उद्योग चलाने व अन्य कार्यों के लिये हिस्सा पूंजी के रूप में 1 करोड की धनराशि देगी। राज्य सरकार द्वारा खनिज स्रोतों को खोजने के लिये किये गये अनुसंधान कार्यों के बहुत लाभप्रद परिणाम निकले हैं। सीकर जिले के सलादीपुरा क्षेत्र में निकले पाइराटिज और उदयपुर में निकले रोक फौसफेट (Rock phosphate) के बड़े भंडारों से राज्य में बड़े खाद के कारखानों की स्थापना की सम्भावनाएं बहुत बढ गयी हैं। इन उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी करने की तरफ प्रयत्नशील है जिससे खनिज के इन भंडारों का शीघ्र उपयोग किया जाना सम्भव हो सके।

(श्री मथुरादास माथुर)

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

60. 1966-67 से 1968-69 तक तीन वार्षिक योजनाओं में राज्य में बड़े पैमाने पर शैक्षणिक सुविधाओं का प्रसार किया गया। इस समय के दौरान राज्य में 409 मिडिल स्कूलें, 272 हाई व हायर सैकेन्डरी स्कूलें और 8 कालेज खोले गये। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अगले वर्ष इनको संगठित करने और इनमें गुणात्मक सुधार लाने का ही कार्य किया जायेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जोधपुर, अजमेर की नयी मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ-साथ जिला अस्पतालों और कालेजों से सम्बन्ध अस्पतालों में 400 रोगी शय्याएं बढाई जावेंगी। जिला अस्पतालों में सुधार के व्यापक कार्यक्रमों को हाथ में लेने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत पहले साल में कोटा, अलवर और भरतपुर के अस्पतालों में कुछ स्पेशलिटीज चालू की जावेंगी। अगले वित्तीय वर्ष में चेचक, मलेरिया, टी. बी. ट्रेकोमा आदि संक्रामक रोगों के रोकथाम और उन्मूलन के प्रोग्रामों को पूरा करने की आर्थिक जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की रहेगी और आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों को और घनीभूत किया जा सकेगा।

जल प्रदाय

61. लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन से ऋण के रूप में प्राप्त सहायता से इस वर्ष राज्य में 28 नयी शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर काम आरम्भ किया गया था और अगले वित्तीय वर्ष इन कामों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया जायेगा। अगले वर्ष 20 शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पूर्ण होने की आशा है।

62. मैं यह बात मंजूर करने के लिये तैयार हूं कि राज्य के विकास का कार्य-क्रम जिस पर हमने पहले चर्चा की है, राज्य की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए एक दम नाकाफी है। चौथी योजना को आगे सरकाने के कारण वार्षिक योजनाओं में पूंजी विनियोजन सीमित ही रहा है और यदि चौथी योजना के पहले वर्ष में भी सार्वजनिक पूंजी का तेजी से विनियोजन नहीं हुआ तो उसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम भंयकर व अभूतपूर्व अकाल के दौर से भी गुजर रहे हैं, जिससे सम्बन्धित कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनका फौरन हल, सूखे से प्रभावित लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए, आवश्यक है। माननीय सदस्य मानेंगे कि इन कामों को आगे सरकाना, राज्य के व्यापक हितों की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इसलिए योजना के लिए पूंजी विनियोजन के लिए बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने पड़ेंगे—क्योंकि ऐसा करना आज की परिस्थिति में अनिवार्य है। अतः मैंने योजना के आकार में 5.50 करोड़ की वृद्धि करदी है और अब 1968-69 की योजना का आकार 4 .60 करोड होगा। अब मैं संक्षेप में विकास के उन कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा जिन पर इस अतिरिक्त प्रावधान से हम अमल करना चाहते हैं।

गांधी शताब्दी

63. इस वर्ष हम गांधी शताब्दी मना रहे हैं। यह चिन्तन और आत्म निरीक्षण का समय है। हम सोचें कि राष्ट्रपिता के आदर्शों को पूरा करने में हम कहां तक सफल हुए है। इस अवसर पर गांधीजी की सेवाओं का गुणगान और उनकी शिक्षाओं का प्रचार ही

(श्री मथुरादास माथुर)

काफी नहीं है । बापू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांवों के विकास और समाज के पददलित लोगों के उत्थान के लिये उन रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनायें जो बापू को अत्यधिक प्रिय थे । मैं सदन के सम्मुख कुछ ऐसे कार्य-क्रम प्रस्तुत कर रहा हूं जिन पर अमल करना हमारी दृष्टि से इस महत्वपूर्ण अवसर के अनुकूल होगा ।

64. आमतौर पर परिगणित जातियों के लोगों और खास कर हरिजनों का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मुक्ति दिलाना, गांधीजी द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य-क्रम था। सिर पर मैला ढोने की प्रथा मनुष्य समाज के पतन की हद मानी जानी चाहिये और आजादी के बीस साल बाद भी यह प्रथा मिट नहीं पाई है, इसका मुझे अफसोस है । मेरी यह निश्चित धारणा है कि गांधी शताब्दी के दौरान समाज के इस कलंक को मिटाने के लिए ह, ठोस रूप में कदम उठाने चाहिये । पहले इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से हमने म्युनिसिपेलिटियों को हाथ-ठेले और अन्य सामान खरीदने के लिए उदारता से सहायता दी थी । कुछ कारणों से हाथ ठेलों का चलन बन्द हो गया और सिर पर मैला ढोने की प्रथा जारी रही । इस स्थिति में सुधार के लिए अगले वर्ष हम एक बड़े कार्य-क्रम की शुरूआत करना चाहते है, जिसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष कम से कम सभी कस्बों में सार्वजनिक शौचालयों में फ्लश व्यवस्था का यथा सम्भव प्रबन्ध कर दिया जाय । इस कार्य के लिए सरकार नगरपालिकाओं को शत प्रतिशत अनुदान देगी । इस समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के सुझावों का मैं अत्यधिक स्वागत करूंगा।

65. 30 लाख रुपये की लागत से जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर आदि शहरों में हरिजनों (scavengers) के लिये 1,000 मकान बनाने का कार्य-क्रम हाथ में लिया जायेगा यह मकानात सरकार बनायेगी और उन हरिजनों को जिन्हें रहने के लिए मकानों की सख्त जरूरत है, हायर परचेज पर देगी। मकानों की कीमत करीबन 3,000 रुपये होगी और यह रकम बीस बराबर की किश्तों में वसूल की जायेगी और इस रकम पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।

66. माननीय सदस्यों को सम्भवत: मालूम है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों की बस्तियों में बिजली लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नल लगाने के कार्य को काफी महत्व देती रही है, जिन शहरों और कस्बों में बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी हैं । पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में किये गये कार्य से राज्य स्तर पर काफी सुधार हुआ है । गांधी शताब्दी के इस वर्ष में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ऐसी सभी बस्तियों में बिजली और पानी के नल लगाने का कार्य पूरा किया जा सके और इस कार्य के लिये सालाना योजना में 20 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है ।

67. अकाल राहत कार्य-क्रम के तहत परिगणित क्षेत्रों (Scheduled areas) में बड़े पैमाने पर छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ किए गए हैं और उन पर कार्य जल्दी पूरा हो जाने से वहां के लोगों का आर्थिक

Page No. 24

(श्री मथुरादास माथुर)

स्तर ऊंचा उठाने में सहायता मिलेगी। ऐसी योजनाओं पर कार्य पूरा करने के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है।

68. गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय कमेटी ने सुझाव दिया है कि इस महत्व-पूर्ण अवसर पर ग्रामीण जल प्रदाय की बड़ी योजनाएं हाथ में ली जानी चाहिए। राज्य की 44.10 करोड की सालाना योजना जो बजट में दिखाई गई है, उस में ग्रामीण पेय जल की स्कीमों पर 1.15 करोड का प्रावधान रखा गया है। मैं इस प्रावधान को बढा कर 2.65 करोड करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे हम रेगिस्तानी इलाकों में 100 नल कूप खोद सकेंगे और सारे राज्य में पीने के पानी के 500 कुएं बना सकेंगे। इसके अलावा इस मद में 50 लाख रुपया और रखा गया है जिससे नई क्षेत्रीय और ग्रामीण नल योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। हमको यह सूचना मिली है कि गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति को 25000 पीने के पानी के कुए बनाने के लिए अनुदान मिला है। हमने समिति से निवेदन किया है कि राजस्थान को कम से कम 50 0 कुओं का आवन्टन किया जाना चाहिये और हमारी यह प्रार्थना उनके अभी विचाराधीन है। मुझे आशा है कि इस सहायता से राज्य की वार्षिक योजना में किये जा रहे प्रयत्नों को गति मिलेगी।

69. यह हमारी पीढी का सौभाग्य है कि हमने गांधीजी के नेतृत्व में होने वाली उस ऐतिहासिक क्रान्ति को अपनी आंखों से देखा जिससे राष्ट्र को स्वतन्त्रता मिली। हममें से बहुतों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने और गांधीजी की जीवनी और कार्य से प्रेरणा लेने का भी सौभाग्य मिला। इसलिए, मुझे विश्वास है, कि गांधीजी के आदर्शों को हमारी पीढ़ी पर अमिट छाप है जो जीवन भर नहीं मिट सकती। परन्तु यह बात युवा पीढी पर लागू नहीं है जिन्होंने आजादी के बाद प्रौढता हासिल की है। अतः इस क्षेत्र में गांधीजी की जीवनी और कार्य के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है और इस काम में हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उनके इन प्रयत्नों में सहायता देने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं में गांधी साहित्य वितरित करने के लिए शिक्षा के मद से 10 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष: (श्री राम चन्द्र आर्य के खड़े होने पर) ऑर्डर ऑर्डर।

अन्य विकास कार्य-क्रम

70. अब मैं विकास के दूसरे कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिनको अतिरिक्त साधनों से मैं गति देना चाहता हूं। आरम्भ में देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्य-क्रम के लिए 1 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था जिससे 3,000 कुओं पर बिजली देने का लक्ष्य था। खेती के विकास के लिए इस कार्य की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए और राज्य के सभी हिस्सों से इसकी मांग को देखते हुए अब प्रावधान बढाकर 1.50 करोड रुपये किया जा रहा है, जिससे 5,000 कुओं को बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा 20 लाख रुपये का प्रावधान 500 किलोवाट

(श्री मथुरादास माथुर)

की क्षमता के बाड़मेर व जैसलमेर में जेनरेटिंग सेट लगाने के लिए किया जा रहा है, जिससे इन इलाकों में बिजली की कमी दूर हो जावेगी। छोटे सिंचाई कार्यों के लिए सालाना योजना में जितना प्रावधान रखा गया था उससे केवल चालू कार्यों को भी मुश्किल से पूरा किया जा सकता है। इस प्रावधान में भी 50 लाख रुपये का इजाफा किया जा रहा है जिससे नई स्कीमों को हाथ में लिया जा सके। सड़कों के क्षेत्र में 105 लाख का प्रावधान केवल चालू कार्यों के लिए ही पर्याप्त था। देहाती इलाकों में नई सड़कें बनाने का काम शुरू करने के उद्देश्य से इस प्रावधान में भी 50 लाख की वृद्धि की जा रही है।

71. अपर्याप्त साधनों के कारण मौजूदा अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में साज सज्जा और मकानातों के मामलों में कुछ खामियां अनुभव की जा रही हैं। आगामी वर्ष में कुछ आवश्यक कार्य पूरा करने के लिये इस मद में 25 लाख की धनराशि रखने का मेरा प्रस्ताव है। इसी तरह हमारे राज्य की कई स्कूलों के भवनों में विस्तार एवं सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। स्कूल भवनों के सुधार के लिए 30 लाख रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं को अनुदान देने और गुणात्मक सुधार के अन्य कार्यक्रमों के लिए 20 लाख की अतिरिक्त धनराशि रखी जा रही है।

72. इस अकाल में चारे की विषम समस्या हमारे सामने आई है और इसके समाधान के लिये हमें चारे के भण्डार (Fodder Banks) बड़े पैमाने पर कायम करने पड़ेंगे। भण्डार ऐसे स्थानों पर कायम किये जायेंगे जहां चारे की अत्यधिक कमी रहती है। लगभग 25 लाख की लागत से 10,000 एकड़ भूमि में चारे के गोदाम और चरागाह कायम करने की एक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के जरिये जोधपुर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में मौजूदा घास के बीड में सुधार किया जायेगा और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में नलकूपों के पास नये चरागाह कायम किये जायेंगे। इस स्कीम की मदद से 1971-72 से हर वर्ष 1 लाख क्विन्टल अतिरिक्त घास पैदा करना संभव होगा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में चारे की कमी की समस्या को हल करने में बहुत हद तक सफलता मिल सकेगी।

विकास के लिए कुल विनियोजन

73. छोटे सिंचाई कार्यों के प्रोग्राम का जिक्र करते समय मैंने यह बताया था कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य की योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में मदद मिलेगी। यह अनुमान है कि इस स्रोत से विकास कार्यों के लिए लगभग 7 करोड़ रुपया मिल सकेगा। इसके अलावा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से लगभग 11 करोड़ की सहायता मिलने की सम्भावना है। इस मद में मुख्य कार्य-क्रम है—परिवार नियोजन, सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और संक्रामक रोगों की रोक थाम और उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्य-क्रम। अकाल सहायता कार्य-क्रम में करीब 18 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किये जायेंगे जिनमें सड़क निर्माण, लघु सिंचाई भू-संरक्षण और वन

(श्री मथुरादास माथुर)

विकास उल्लेखनीय हैं। ऐसा अनुमान है कि करीब 11 करोड़ सड़कों पर खर्च होंगे जिनमें 400 मील पक्की और 1720 मील ग्रेवल सड़कें बन सकेंगी। इसके अलावा 370 सिंचाई परियोजनायें पूरी होने की आशा है जिससे 6500 एकड़ क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। 40 हजार एकड़ में भू-संरक्षण कार्य किये जाने का भी अनुमान है। इस प्रकार हालांकि, सालाना योजना में प्रावधान केवल 49.00 करोड़ ही दिखाया गया है, वास्तव में अगले वर्ष राज्य सरकार के मार्फत या उसके सक्रिय सहयोग से विकास कार्यों के लिए कुल 85 करोड़ की पूंजी विनियोजित होने की संभावना है।

74. हम चौथी योजना में प्रवेश कर रहे हैं। इस मौके पर हमें विकास की गति को तीव्र करने और अब तक की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने के लिये सतत् प्रयत्न करने हैं। यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम बड़े पैमाने पर साधन जुटाने का साहसपूर्ण प्रयास न करें। सच तो यह है कि तरक्की के लिए मशक्कत और कामयाबी के लिये कुर्बानी जरूरी है। हम अपने विकास के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इस मौके पर हम जितना प्रयत्न करेंगे उसका असर न केवल अगले वर्ष बल्कि पूरी चौथी योजना पर पड़ेगा।

75. हमने कृषि क्षेत्र में भारी विनियोजन किया है। पिछले 18 वर्षों में योजनाओं के अन्तर्गत 507 करोड़ के खर्च से केवल खेती के विकास पर 300 करोड़ रुपया लगाया जा चुका है। इससे किसानों की माली हालत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आर्थिक विकास के हमारे इन प्रयत्नों से जिनको सर्वाधिक लाभ मिला है, उनसे यदि मैं भावी विकास के लिये थोड़ा योगदान करने के लिए कहूं तो यह कतई असंगत नहीं होगा।

76. इस पृष्ठ भूमि में, मैं अब अगले वर्ष के लिये साधन जुटाने के प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। पहले मैं उन प्रस्तावों का जिक्र करूंगा जिनका कर से ताल्लुक नहीं है।

लाटरी

77. मैंने पिछले बजट भाषण में राज्य में लाटरी स्कीम चालू करने की घोषणा की थी। लाटरी का पहला ड्रा 1 जनवरी, 1969 को हुआ और उसका भाग्यशाली जीतने वाला जयपुर जिले का एक साधारण किसान है। यह स्कीम अब तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है (शेम, शेम) और इसका दूसरा ड्रा 6 अप्रेल, 1969 को होगा। मसल है कि किस्मत उन्हीं के दामन में खेलती है जो दिलेर और दिलदार होते हैं। (श्री मनोहरसिंह मेहता:–बहुत अच्छा किया तारीफ के अनुकूल काम हुआ है।) इसलिये मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी किस्मत जरूर आजमायें। (हंसी) लाटरी का प्रोग्राम अगले वर्ष और भी तेज किया जायगा। मुझे उम्मीद है कि लाटरी से अगले वर्ष 60 लाख की शुद्ध आमदनी होगी।

कृषि भूमि का रिहायशी व व्यवसायिक काम के लिये परिवर्तन

78. मैंने अपने 1967 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ने कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने

(श्री मथुरादास माथुर)

का निर्णय लिया है। बाद में भारी शंकाएं पैदा हुईं कि इस निर्णय से कहीं शहरों में रिहायशी क्षेत्रों का अनियोजित ढंग से फैलाव न होने लग जाये और कहीं सटोरिये किसानों का शोषण न करने लग जायें। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में दुबारा विचार करने की आवश्यकता हुई। इस मसले की अच्छाइयों और बुराइयों को अच्छी तरह से आंकने के बाद निर्णय लिया गया है कि रिहायशी और वाणिज्य संबंधी कामों के लिये भूमि का परिवर्तन करने दिया जाय।

79. भूमि का परिवर्तन निम्नलिखित दरों के अनुसार किया जायेगाः—

विभिन्न शहरों की म्युनिसिपल सीमा में स्थित कृषि योग्य भूमि	परिवर्तन फीस (प्रति वर्ग गज) वाणिज्य संबंधी उपयोग के लिये	परिवर्तन फीस (प्रति वर्ग गज) रिहायशी काम के लिये
1	2	3
1. जयपुर, कोटा, गंगानगर और हनुमानगढ़	50	12
2. जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और सूरतगढ़	30	10
3. सीकर, ब्यावर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली, बारां और गंगापुर	25	8
4. अन्य सभी म्युनिसिपल शहर	15	6

जिन मकानों का कुछ भाग रिहायशी और कुछ भाग वाणिज्य सम्बन्धी कार्यों के लिये इस्तेमाल में आता है, उनको "वाणिज्य के इस्तेमाल" में शुमार माना जायेगा। भूमि परिवर्तन से प्राप्त फीस का 2/3 भाग स्थानीय संस्थाओं जैसे, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मण्डी कमेटी म्युनिसिपैलिटी और केन्टोनमेन्ट बोर्ड आदि को परिवर्तित भूमि के विकास के लिये दिया जायेगा। इससे 1969-70 में राज्य सरकार को 25 लाख रुपये की आय होने की सम्भावना है।

राक फासफेट का विभागीय खनन

80. मैं उदयपुर के पास मिले राक-फास्फेट (Rock Phosphate) के प्रचुर भंडार और उसके उपयोग के लिए उठाए जाने वाले कदम का पहले ही जिक्र कर चुका हूं। अगले वर्ष से इनका विभागीय खनन शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे 20 लाख रुपये की आय का अनुमान है।

खुशहाली कर

81. राजस्थान लैण्ड्स स्पेशल इरीगेशन चार्जेज एक्ट, 1953 (Rajasthan Lands Special Irrigation Charges Act, 1953) और उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों के अनुसार भाखरा क्षेत्र में खुशहाली कर चौबिस छः माही बराबर किश्तों में वसूल होना है। चूंकि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें पूरी तरह विकसित नहीं हुई थीं, इसलिये यह कर सिंचित क्षेत्र पर 11 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की

(श्री मथुरादास माथुर)

ही दर से वसूल किया जा रहा है। मगर अब सिंचाई सुविधायें पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं और यह रियायतें जारी रखने की अब कोई वाजिब वजह नजर नहीं आती है। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि भाखरा क्षेत्र में खुशहाली कर की किश्तें मूल कानून के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाय। इसके अलावा खुशहाली कर के निर्धारण व वसूली की प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। चम्बल क्षेत्र में बकाया की वसूली के लिये भी विशेष प्रयत्न किये जायेंगे इन सब जरियों से 50 लाख रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

82. अब मैं ऐसे प्रस्तावों का जिक्र करूंगा जिनका ताल्लुक अतिरिक्त करों से है। इन प्रस्तावों को तैयार करते वक्त मैंने खास तौर पर ध्यान रखा है कि समाज के कमजोर तबकों पर इनका भार नहीं पड़े। मैंने इन प्रस्तावों को बनाते समय करों से प्रभावित होने वाले लोगों को भार बर्दाश्त करने की क्षमता का भी पूरा ध्यान रखा है।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल

83. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की वित्तीय स्थिति में कुछ समय से बराबर सुधार हो रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि विद्युत् क्षेत्र में सरकार ने भारी विनियोजन किया है और यह उचित ही है कि इनसे सरकार को समुचित आय मिले। इसके साथ ही विद्युत् की दरें इस प्रकार तय की जानी चाहियें कि उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मुख्य मन्त्री जी ने सदन में घरेलू बिजली की खपत पर दरें कम करने की घोषणा करते समय यह संकेत किया था कि अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं की दरें बढ़ाई जायेंगी। सरकार ने अब विद्युत मण्डल की दरों में उचित संशोधन करने की अनुमति दे दी है जिससे कि वह राज्य सरकार को 50 लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज दे सके। इससे घरेलू बिजली के खपत की दरों में वृद्धि नहीं होगी।

भू-राजस्व पर अधिभार

84. माननीय सदस्यों को जानकारी है कि भू-राजस्व पर अधिभार (सरचार्ज) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट, 1960 के अन्तर्गत लागू है। मैं इस अधिभार (सरचार्ज) की दरों को निम्न प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं:—

सालाना भू-राजस्व	अधिभार की दर
(क) जहां भू-राजस्व की देय 50 रुपये से कम है	कुछ नहीं
(ख) जहां भू-राजस्व की देय 50 रुपये या उससे अधिक है और 100 रुपये कम है।	50 पैसा प्रति रुपया
(ग) जहां भू-राजस्व की देय 100 रुपये या उससे अधिक है और 150 रुपये से कम है।	75 पैसा प्रति रुपया
(घ) जहां भू-राजस्व की देय 150 रुपये या उससे अधिक है।	भू-राजस्व की रकम के बराबर।

(श्री मथुरादास माथुर)

85. 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक जोतों (होल्डिंग्स) पर अधिभार की दर भू-राजस्व का 150 प्रतिशत होगा। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि मेरे इस प्रस्ताव का वजन छोटे जोत वाले किसानों पर न पड़े और इसलिए 10 एकड़ से कम जोतें अधिभार से मुक्त रहेंगी। नये कुए खोदने और उनसे सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए चाही क्षेत्रों में केवल भू-राजस्व का 1/3 भाग ही अधिभार का हिसाब लगाने में गिना जायेगा। माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि अधिभार की दर में वृद्धि से केवल हैसियत वाले किसानों पर ही भार पड़ेगा। इससे अगले वर्ष 50 लाख की आय का अनुमान है। उपरोक्त संशोधन को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसानों के लिए कुए खोदने ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

व्यावसायिक फसलों पर सेस

86. मैं निम्नलिखित व्यावसायिक फसलों के नीचे क्षेत्र पर सेस लगाने का प्रस्ताव करता हूं:—

गन्ना, कपास, मिर्च, जीरा, धनिया, सौंफ, मूंगफली, तिल, अलसी, राई, सरसों, एरण्ड और तारामीरा।

इस सेस की दर सिंचित क्षेत्र में 6 रुपये प्रति एकड़ और असिंचित क्षेत्र में 2 रुपया प्रति एकड़ होगी। सिंचित क्षेत्र में वह सभी रकबा शामिल होगा जिसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं चाहें भू-अभिलेख में उनका वर्गीकरण कुछ भी हो। यह सेस खरीफ, 1969 से प्रभावशील होगा और इससे अगले वर्ष 75 लाख रुपये की आय का अनुमान है। इसके लिये आवश्यक विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है।

बिक्री कर

87. किसी भी वित्त मन्त्री के लिए जिसे अधिक आय की तलाश है, बिक्री कर हमेशा से कामधेनु रहा है। मैं, बीयर और अन्य सामान किस्म की शराब पर 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत और भारत में बनी विदेशी शराब पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत बिक्री कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। देशी शराब जो अब तक बिक्री कर से मुक्त है उस पर अब वेयरहाऊस से शराब की बिक्री पर लाईसेंसदारों से 10 प्रतिशत की दर से वसूल होगा। भांग जो अब तक कर से मुक्त है, उस पर भी मैं 7 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। शराब की कीमत बढ़ाना राज्य की मद्यनिषेध की नीति के अनुकूल है। मयकशों का कहना है शराब जितनी मंहगी—सरूर उतना ही ज्यादा। (हंसी) इस प्रस्ताव से राज्य को अगले वर्ष 80 लाख रुपये की।

कई माननीय सदस्य : अनुभव है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरूर 80 पर्सेन्ट बढ़ जायगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर,

अतिरिक्त आय होगी।

88. शराब पर कर लगाने से पीने वालों को यह शिकवा हो सकता है। मैंने न पीने वालों की तरफदारी की है कि मैं इस सवाल को फौरन रफा करना चाहता

(श्री मथुरादास माथुर)

हूँ और मेरी यह तजवीज है कि मिठाइयों पर 2 प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाय। यह कर 30 हजार से ऊपर कारोबार (टर्न ओवर) करने वाले हलवाइयों पर लागू होगा। रेस्टूरां और होटलों इत्यादि पर यह बिक्री कर पहिले से ही लागू है। यह कर एक मुश्त टर्न ओवर के आधार पर वसूल होगा।

89. भारत सरकार ने बिक्री कर के बजाय असली रेशमी कपड़े पर लगायी गयी अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी हटाली है और नफीस चीज पर कर लगाना राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ा है। कहीं गलतफहमी न हो जाय कि मुझे हमदर्दी है उन रेशम-पोशों से, लिहाजा मैं असली रेशमी कपड़े पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लगाने की तजवीज करता हूं।

90. एक विस्फोटक मसले से अब मैं दूसरे पर आता हूँ। अभी खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थों पर 3 प्रतिशत रियायती दर है, जब कि बाकी सब विस्फोटक पदार्थों पर कर की दर 10 प्रतिशत है, इससे कर से बच निकलने की प्रवृत्ति बढी है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी विस्फोटक पदार्थों पर समान रूप से 10 प्रतिशत कर लगाया जाये।

91. हमारी सदैव से सभी पडौसी राज्यों के बिक्री करों की दरों में समानता लाने की नीति रही है। इस उद्देश्य से पामआयल, शुद्ध खोपरे के तेल, असली रेशम और उससे बनी वस्तुएं, फर, जूतों के अलावा, चमड़े से बनी वस्तुएं, फोम, रबर, ग्लेज्ड टाइल्स, लेमिनेटेड शीट्स, बच्चों की गाड़ियां(Perambulator) और पिकनिक सैट्स पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लगाने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

92. इस अजीबोगरीब दुनियां में असली और नकली का भेद पहचानना मुश्किल होता जा रहा है और खास तौर से जेवरात में। अभी असली-नकली दोनों पर 5 प्रतिशत का समान बिक्री कर है। माननीय सदस्य मानेंगे कि कम से कम बिक्री कर के मामले में असली-नकली का भेद होना चाहिये। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि नकली जेवरात पर बिक्री कर की दर बढा कर 7 प्रतिशत कर दी जाय।

93. खांडसारी की कुछ किस्मों पर भारत सरकार द्वारा बिक्री कर की बजाय एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रकार की खांडसारी पर बिक्री कर की दर 7 प्रतिशत कर दी जाय, जो दर आज गुड पर भी लागू है। यह भी प्रस्ताव है कि चमड़े, के कपड़े, रबर व सिन्थेटिक वाटर प्रूफ फेब्रिक्स व बुक बाइंडिंग क्लोथ फेब्रिक्स पर बिक्री कर की छूट हटा ली जाय और इस पर 7 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाय।

94. पैट्रोल, डीजल आयल व अन्य किस्मों की मोटर स्प्रीट पर अभी राजस्थान सैल्स आफ मोटर स्प्रीट टेक्सैशन एक्ट के अन्तर्गत कर लिया जाता है। कर वसूली को सरल करने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन वस्तुओं को भी राजस्थान सैल्स

(श्री मथुरादास माथुर)

टैक्स एक्ट के दायरे में ले लिया जाय और सेल्स आफ मोटर स्प्रीट टैक्सेशन एक्ट रद्द कर दिया जाय। इन वस्तुओं पर जो अभी विशेष कर लागू है, वह राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के तहत मूल्यों के आधार पर बदल दिया जायेगा। इस प्रकार मिकदार से मूल्यों पर कर की दर निर्धारित करने के कारण आय में मामूली बढ़ोतरी होगी।

95. इन सब प्रस्तावों से अगले वर्ष 35 लाख रूपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

96. कर निर्धारण व अपीलों के जल्दी निपटारे और करों से बच निकलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे। इससे अगले वर्ष 75 लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

97. अभी उन वस्तुओं पर जिनके लिये कोई विशेष दर बिक्री कर शिड्यूल में निर्धारित नहीं है, 6 प्रतिशत की दर से कर वसूली किया जाता है। अब मैं इस दर को बढा कर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे अगले वर्ष 40 लाख की अतिरिक्त आय का अनुमान है।

करों में रियायत

98. अब मैं कुछ रियायतों के बारे में जिक्र करूंगा। व्यापारियों की कर देयता निर्धारण करने के लिये कम से कम टर्न ओवर की सीमा 15,000 से बढा कर 20,000 कर दी गई थी। अब मैं इस सीमा को और बढा कर 30,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। अभी खाद्यान्न और दालों के व्यापारियों के लिये कम से कम टर्न ओवर की सीमा 5,000 है और यदि किसी व्यापारी का केवल खाद्यान्न और दाल का टर्न ओवर बहुत मामूली भी हो, फिर भी वह कर चुकाने के लिये बाध्य हो जाता है, अगर उसका कुल टर्न ओवर इस सीमा से अधिक हो जाय। खाद्यान्न और दालों के व्यापारियों की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस सीमा के निर्धारण में केवल खाद्यान्न और दालों का टर्न ओवर ही शामिल किया जाय। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दो रियायतों से छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।

99. जो वस्तुएं देश में बेची जाती हैं उनके बनाने के लिये खरीदे गये कच्चे माल पर उत्पादकों से अभी टैक्स 1 प्रतिशत की रियायती दर से वसूल किया जाता है। उन उत्पादकों को, जो तैयार माल सीधा विदेशों को निर्यात करते है, उन्हें भी कच्चा माल खरीदने में कुछ रियायत देने का प्रस्ताव है। अब मैं निर्यात करने वाले उत्पादकों से कच्चे माल की खरीद पर केवल 4 प्रतिशत की दर से कर लेने का प्रस्ताव करता हूं जहां कहीं भी कर की दर इससे अधिक है।

100. अब मै कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ रियायतों का जिक्र करूंगा। अभी 15 रुपये तक की बन्धेज की ओढ़नियां ही कर से मुक्त है। अब यह छूट सूती कपड़े से बनी सभी ओढ़नियों पर दे दी जायेगी। इस समय हाथी दांत जडित (Inlaid with Ivory) वस्तुओं पर 6 प्रतिशत के

(श्री मथुरादास माथुर)
साधारण दर से कर लागू है, जब कि हाथी-दांत की वस्तुओं पर दर 5 प्रतिशत है। इस असमानता को दूर करने के लिये हाथी-दांत जड़ित वस्तुओं की दर भी 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

101. मैं मैले को सर पर ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों की चर्चा पहले कर चुका हूं। उस उद्देश्य से मैं इण्डियन टाइप की फ्लश सीट को कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इससे खुले शौचालयों को फ्लश में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

102. व्यावसायिक बैंकों को कृषि कार्यों के लिये ऋण मुहैया करने के लिये अब महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इस स्रोत से किसानों को अधिकाधिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से मैं कृषकों द्वारा शेड्यूल्ड बैंकों से ऋण लेने के लिये किये गये रहन-नामों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह सुविधा सहकारी संस्थाओं को अब भी उपलब्ध है।

103. श्रीमन्, मैं इस तकरीर को अब खत्म करना चाहता हूं। मैंने सदन के सामने राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति की तस्वीर रखी है। पिछले वर्षों में हमने बहुत कुछ किया है, मगर फिर भी मंजिल दूर है। अगर हमें अपने सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करना है और इस देश से गरीबी को मिटाकर आम-अवाम को बहबूदी करनी है तो हमें बिना रुके लगातार कोशिश करनी होगी। श्रीमन्, देश की बढती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि माली तरक्की की रफ्तार तेज की जाय वरना कहीं खुशहाली का सपना ही बन कर न रह जाय। हमें भूलना नहीं चाहिये कि आर्थिक स्थिति एक जगह कायम नहीं रहती। या तो हम तेजी से आगे बढें वरना हम खुद-ब-खुद पीछे हटने लगेंगे। अगर हमारी माली तरक्की में ठहराव आ गया तो समाज में घोर असन्तोष पैदा होगा और हमारे तमाम आदर्श और मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। ऐसी सूरत में निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। यह वक्त मुक्ता-चीनी का नहीं बल्कि हमकदम होकर आगे बढने का है। कहीं आने वाली पीढी हम पर यह तोहमत न लगाये कि मुल्क की इस नाजुक घडी में हम इस चुनौती का मुकाबला न कर सके।

104. श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं 1969-70 के बजट तखमीने सदन के सामने विचार एवं मन्जूरी के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक ।

(विराम)

विधायी कार्य

विधेयकों का उपस्थापन

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन एवं निरसन)

विधेयक, 1969

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापन करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1969

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन्, मैं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप-कर विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 1 बजकर 7 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12 बज कर 33 मिनट पर मध्यान्ह पश्चात् 1 बज कर 7 मिनट तक के लिए स्थगित की हुई)।

शुद्धि-पत्र

(शनिवार दिनांक 8 मार्च, 1969)

पृष्ठ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3 से 64 तक	शीर्षक	प्रावधान	आवरण
,,	अन्तिम से 14	राजस्थान में में ग्राम योक	राजस्थान में ग्राम योक
5	2	वहर	कहर
6	अन्तिम से 13	रुपथा	रुपया
7	,, 8	मसबिदा	मसबिदा
8	6	म	में
,,	16	निभरता	निर्भरता
9	अन्तिम से 12	बिजवा	बिजली
12	5	क	के
,,	6	1969– 0	1969-70
,,	8	196 –70	1969-70
,,	13	म	से
13	5	म	से
,,	8	स ा यता	सहायता
,,	11	प्रायाग	प्रयोग
,,	अन्तिम से 11	भ	में
14	4	प्रणाला	प्रणाली
,,	5	कारे	चुकारे
,,	11	परि तर्न	परिवर्तन
,,	14	प्रायग	प्रयोग
,,	अन्तिम से 10	करन	करने
,,	9	अन्तर्ग ।	अन्तर्ग त
15	शीर्ष	(श्री मथुरानरस माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	12	अपुमान	अनुमान
,,	19	तखमाने	तखमीने
16	अन्तिम से 14	5	50
19	11	16.9	16.93
20	अन्तिम से 7	परियोजनाओं	परियोजनाओं

1	2	3	4
22	15	(फर्म ॉवर)	(फर्म पावर)
23	9	प्ररिरिक्त	अतिरिक्त
,,	,,	वी	की
,,	अन्तिम से 13	अन्न	अन्त
24	8	केन्द्र य	केन्द्रीय
,,	2	ब्न्द	बन्द
26	3	पूंजा	पूंजी
29	14	वेन्द्र	केन्द्र
34	8	बज्ट	बजट
,,	अन्तिम से 8	प्र थमिकता	प्राथमिकता
35	8	बढ़ान	बढ़ाने
36	1	कारोरेशन	कार्पोरेशन
,,	7	0	80
,,	11	प्रस ावित	प्रस्तावित
,,	13	ई	गई
41	शीर्षक	(श्री माथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	3	बचव	बचाव
45	अन्तिम से 15	ह	हम
48	9	मिया	किया
57	14	ी अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
58	6	जि ने	जिसे
,,	8	बयर	बीयर
,,	अन्तिम से 6	ाडिर	आर्डर
59	11	क	कर
,,	3	री	रही
62	8	समप्त	समाप्त
64	अन्तिम से 9	ह	यह

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4 — विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेरहवां दिवस — संख्या 8 (सायंकालीन)

शनिवार, (सायंकालीन)

दिनांक 8 मार्च, 1969.

विधान सभा की बैठक पुन: म. पू. 1-10 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्यपाल महोदय का संदेश

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय का संदेश।

"आपका 6 मार्च का पत्र क्रमांक 179 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।"

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि चूरू जिले के भालेरी अकाल सहायता शिविर में मजदूरों को सडा गला अनाज देने व उनको खारा पानी पिलाने तथा उनके लिए समुचित चिकित्सा व्यवस्था आदि न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री दौलतराम सारण, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी। इस स्थगन-प्रस्ताव को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए पेंडिंग रखा गया था, इसी आशय के एक अन्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना सर्व श्री केदार नाथ, रामचन्द्र आर्य, हरजी राम बुरड़क, मेघराज, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी।

यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इस पर विचार किया जाय। किन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय अकाल सहायता मंत्री स्थिति को स्पष्ट करते हुए सोमवार दिनांक 10 मार्च, 1969 को एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन दिन तो हो गये और 15 आदमी मर गये ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पढ़ने तो दें।

मैं उपरोक्त प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं। इनके अतिरिक्त निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने नोहर तहसील

(श्री उपाध्यक्ष)

के गांवों व नोहर कस्बे में अकालग्रस्त क्षेत्र में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केसरी सिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने कस्बा हिन्डोन··

श्री केसरीसिंह हाडा : हिन्डोली।

श्री उपाध्यक्ष : कस्बा हिण्डोली के रेंगरों के मोहल्ले में सार्वजनिक नल नहीं लगाये जाने का उल्लेख किया है।

उपरोक्त दोनों मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इन पर बजट पर होने वाली बहस के दौरान चर्चा की जा सकती है।

ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसका सम्बन्ध जयपुर जिले में क्रूड आयल के अभाव से है। इस स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय, राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिंग रखा गया था। राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब क्रूड आयल की व्यवस्था हो गई है और अब काश्तकारों आदि को सिंचाई कार्यों के लिए क्रूड आयल देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अत: इस स्थगन प्रस्ताव को भी मैं सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है पानी के सम्बन्ध में कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी किसी को नहीं मिलता है और कस्बा नोहर में 20 हजार की जनसंख्या होते हुए भी और वहां के कुओं का पानी बिल्कुल खारा हो गया है और लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है ··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह फर्माया है, यह व्यवस्था दी है कि पीने के पानी के सम्बन्ध में अनुमति नहीं दी जाती है···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपने अपनी बात कह दी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी का मामला है। आपको इसमें ···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ··

श्री रामचंद्र आर्य : अनुमति देनी चाहिये। आपने फर्माया कि पैंडिंग था···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों को वहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है इस वजह से पहले ही उनके सामने बड़ा संकट है। नोहर 20 हजार की आबादी का कस्बा है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमें पीने के लायक पानी नहीं है। उसको मुख्य मंत्रीजी ने टाल दिया···

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्य मंत्रीजी आये थे उन्होंने कहा था कि पानी के लिए 80 हजार दिये जायेंगे। इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर है। लोग बड़े परेशान हैं और पीने के पानी के लिए संकट है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे बढ़ कर और लज्जा की क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य···

स्थगन-प्रस्तावों पर गृह मंत्रीजी का वक्तव्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्षजी, पीने के पानी के बारे में मांग करते हैं और सरकार और आसन की ओर से यह व्यवस्था होती है यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है जब कि लोगों का जीवन पानी के बगैर संकट में पड़ा हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य·······

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्षजी, आप सम्बन्धित मंत्रीजी से·······

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कभी कभी तो नियमों का पालन कर लीजिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर व्यास : ही शुड बी एक्जेम्पटेड।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है फूड आइल के सम्बन्ध में····

श्री उपाध्यक्ष : आपको नियम बता दिया गया है। अगर इस पर कुछ कहना है तो बजट पर चर्चा हो उस वक्त इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री सुवालाल चौधरी : बजट में क्या···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर आज्ञा दे दी गई है। अब चर्चा का प्रश्न नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष····

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं तो नियम जानते हैं कि व्यवस्था आसन से दे दी गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने जो यह व्यवस्था दी है····

श्री उपाध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप नियमों को जानते हैं। आसन से व्यवस्था दे दी गई है।

श्री दुर्गालाल आदहार : मेरी आपकी व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से सद्भावना होते हुए एक सूचना आपके द्वारा चाहता हूँ कि आपने अपनी व्यवस्था में बताया है कि क्रूड आयल की व्यवस्था कर दी गई है और किसानों को कठिनाई नहीं होगी, ऐसी सूचना आपको सरकार की ओर से मिल गई है, लेकिन प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य को इस प्रकार की सूचना नहीं है कि उसके बारे में कठिनाई नहीं होने की सम्भावना है। जो सूचना राज्य सरकार ने इस प्रकार की दी है तो क्रूड आयल के बारे में क्या व्यवस्था की गई है कम से कम यह तो मालूम हो।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है उसको मान कर चलें।

शासकीय वक्तव्य

अलवर शहर और तहसील में असुरक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव पर

राज्य मंत्री, गृह : (**श्री हीरालाल देवपुरा**) : माननीय उपाध्यक्ष, अलवर शहर व आस-पास की आबादी में पिछले डेढ़ माह में हुए कुछ अपराधों का व उस क्षेत्र में असुरक्षा का उल्लेख करते हुए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव रखा था। इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई।

प्राप्त सूचना के आधार पर पाया जाता है कि माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव में जिन 80 क्रिमिनल केसेज का उल्लेख किया था उनमें से सात में इत्तिला मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल केसेज रजिस्टर किये जाकर तफतीश की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूछने वाले सदस्य तो हैं ही नहीं हाउस में।

श्री हीरालाल देवपुरा : (1) मोहल्ला जतीजो की बगीची में एक बुढ़िया मुसम्मात पांची के उसके घर में मरे हुए पड़े होने और घर का सामान बिखरा होने की लिखित सूचना दिनांक 21-1-69 को थाना कोतवाली, अलवर में मिली थी। इस पर मुकद्दमा नं. 16 दिनांक 21-1-69 ह. दफा 460 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इस केस के सम्बन्ध में 2 मुलजिम सत्यनारायण व राम अवतार गिरफ्तार किये जा चुके हैं और उनकी निशादेही में कुछ माल भी बरामद किया गया है। बकाया तफतीश तकमील की जाकर शीघ्र चालान अदालत में पेश किया जा सकेगा।

(2) मोहल्ला मीना पाड़ो में दिनांक 18-1-69 को कुछ व्यक्तियों ने रविदत्त वल्द रामजीवन मीना के घर पर रात को लगभग 2 बजे दरवाजा खटखटाया और कहा कि वे एक्साइज महकमे के ऑफिसर हैं, चैक करने आये हैं। इस पर मकान का दरवाजा खोला गया तो 6 आदमी घर में घुस पड़े और उन्होंने 2 बक्स जिनमें कपड़े व सोने के जेवर थे, उठा ले गये। रोकने पर मकान के निवासियों के साथ मारपीट भी की गई। सूचना मिलते ही दिनांक 18-1-69

(श्री हीरालाल देवपुरा)

को एक केस हू. द. 458।380 दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई। इस घटना में जीवनसिंह रायसिख पहचान लिया गया था किन्तु अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है, अन्य 3 मुलजिमान जिन पर सन्देह है उनसे तफतीश जारी है।

(3) दिनांक 25-1-69 को दाउदपुरा में बुधराम माली के घर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी करने की गरज से घुस कर बुद्धराम माली व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने व जेवर व कपड़े चुराने की घटना हुई थी। सूचना मिलते ही केस नं. 11।69 हू. द. 458।380 आई. पी. सी. थाना सदर पर दर्ज होकर तफतीश प्रारम्भ की गई। तफतीश से इस वारदात में माधसिंह, पल्ली और निक्कू राजपूत व अन्य कुछ रायसिखों का हाथ होना पाया जाता है। मुलजिमान की पतारसी व तफतीश जारी है।

(4) अलवर शहर की एक मालन को गाजूका की नदी के पास दिनांक 2-2-69 को 2 व्यक्तियों द्वारा रोककर मारपीट की गई थी और उसके रुपये छीन लिये गए थे। कुल रुपये 4 व 75 पैसे का माल छीन लिया गया था। इस मामले में एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है व दूसरे के विरुद्ध दफा 87 जा. फौजदारी के तहत कार्यवाही की जा रही है। अदालत में चालान भी पेश किया जा चुका है।

(5) दिनांक 3-3-69 को देवीसहाय माली नाम के व्यक्ति ने यह इत्तिला दी थी कि रात को उसके चाचा सांवला व खेराती मकान में सोये हुए थे करीब साढ़े बारह बजे रात वह घर से उठकर बाहर निकला तो उसके जवाओं के साथ 7 आदमी मार-पीट कर रहे थे। उसे देखकर 2 व्यक्ति उसकी ओर भी झपटे व मारपीट शुरू की व बाद में घर में से सामान चुरा कर ले गये। चोरी गया माल लग-भग 11 रु. का आंका गया है। मार-पीट से खेराती की मृत्यु हो गई। इस घटना की इत्तिला पर दिनांक 3-2-69 को थाना सदर अलवर में एक केस हू. द. 460।380 दर्ज किया गया व तफतीश प्रारम्भ हुई। दौरान तफतीश हरनामसिंह रायसिख, रामचन्द्र सुलतान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ और मुलजिमान की गिरफ्तारी बाकी है। उनकी तलाश जारी है।

(6) गांव सामोला शादी मेव के यहां हुई घटना पर भी एक मुकद्दमा हू. द० 458। 380 दर्ज किया जाकर तफतीश की जा रही है। इस वारदात के सिलसिले में गुरुमुखसिंह व जग्गूसिंह गिरफ्तार किये जा चुके हैं व मुलजिमान माधसिंह व पल्ली आदि की तलाश जारी है।

(7) ग्राम बिकानो में मेवों पर हमला करने व उनके घर से जेवरात व बर्तन उठा ले जाने की घटना पर एक केस नं० 21 दिनांक 15-2-69 हू० द० 458।380 दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई। इस वारदात के सिलसिले में पल्ली पहलवान व माधसिंह रायसिख की पार्टी पर सन्देह है। मुलजिमान की तलाश जारी है।

(8) मुहल्ला पड़ेरिया पाडी में एक औरत को छुरा दिखाकर उसके पैरों से पाजेब छीन लेने की कोई घटना पुलिस को रिपोर्ट होना नहीं पाया जाता है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपरोक्त वर्णन से यह विदित होगा कि स्थगन प्रस्ताव में उल्लेख किये गये कुछ केसेज में मुलजिमान को गिरफ्तारी हो चुकी है व कुछ में गिरफ्तारी बाकी है। प्रत्येक केस की ओर स्थानीय पुलिस सजग है और बरामदगी माल व मुलजिमान की पतारसी के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वारदातों में से कुछ वारदातें रायसिखों द्वारा की गई है जो बाद वारदात फरार हैं।

नगर में अपराधों की रोक थाम व पेट्रोलिंग के लिए पर्याप्त पुलिस व आर० ए० सी० तैनात है। कुल मिलाकर 175 व्यक्ति पेट्रोलिंग ड्यूटी पर नियुक्त किये हुए हैं। रात के समय आर० ए० सी० के हथियार बन्द जवान भी गस्त लगाते हैं व 2 टुकड़ियां सब इन्स्पेक्टर के निरीक्षण में रात को सारे पेट्रोलिंग प्रबन्ध का निरीक्षण करती रहती हैं। यह सन्तोषप्रद पाया गया है। इसके फलस्वरूप अपराधों में कमी होना पाई जाती है कुछ अपराध जो हाल ही में हुए हैं उनको देखते हुए गश्त का कार्य और भी मुस्तैदी से किया जा रहा है। हाल ही में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना मण्डावर के सब इन्स्पेक्टर के प्रयास आप सबको विदित ही है। उक्त सब-इन्स्पेक्टर द्वारा अपने जान को बाजी लगाकर कुख्यात डकैतों व अपराधियों को, रिंग लीडर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस के गश्त का माकूल प्रबन्ध, अनुसन्धान की प्रगति व जिला प्रशासन के द्वारा अपराध की स्थिति पर काबू पा लिया गया है। जनता में असन्तोष व्याप्त होने की बात सही नहीं है, यह घटनायें स्ट्रे किस्म की हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): प्वाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: (श्री देवपुरा से) प्वाइंट ऑफ आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया। उनको स्टेटमेंट की तारीख बताई जाती तो माननीय सदस्य उपस्थित हो सकते थे यह बहुत ही असुविधाजनक व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष: 6 तारीख को ही कह दिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हाउस में अनाउन्स नहीं किया गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास: हाउस के अन्दर अनाउन्स कर दिया गया था।

श्री हीरालाल देवपुरा: जिलाधीश ने हाल ही में नगर के प्रमुख नागरिकों को बुलाकर उन्हें जिले की कानून व्यवस्था व पुलिस प्रयासों से अवगत कराया है जिसके प्रति सभी ने सन्तोष प्रकट किया है असुरक्षा की भावना नष्ट हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जो एडजर्नमेंट मोशन मैंने मूव किया था, जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है, उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। बावजूद इस बात के कि घटनाएं अलवर शहर में हुई। अलवर शहर से बिल्कुल लगे हुये गांव में हुई और ऐसे लोगों के घरों में हुई है जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। किसान और गरीब लोग हैं। जो घटना रूपावास गांव में हुई है। हथियारबन्द लोग वहां आये और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनकी चीजें ले गये हैं। सामोला के अन्दर 3 आदमियों को जख्मी किया। एक आदमी मर गया।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष: ये बातें आपने स्थगन प्रस्ताव में रखी हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, जब एडजर्नमेंट मोशन नामंजूर हो जाये और उसके ऊपर स्टेटमेंट हो जाये। तो माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। उसको स्पीच से सब्सटेंसियेट नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जितनी ये घटनाएं हुई हैं। उनके बारे में क्या यह सही नहीं है कि पुलिस अपने वर्सन को बराबर बदलती रही है। कभी वह ऐसे लोगों, पड़ौस के लोगों के साथ दुश्मनी की बात सोचती है। इसीलिए रूपावास के मीणों को गिरफ्तार किया। कभी पुलिस कहती है कि जेलों के फरार लोग हैं। उन लोगों के गैंग हैं। इसलिए उन लोगों के बारे में लगाया जा रहा है। सवाल यह है उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद इतनी घटनाओं के सरकार की तरफ से अब तक एक भी केस में किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी, कोई पता क्यों नहीं लगाया गया। किसी भी किस्म की रिकवरी क्यों नहीं की गई है? क्या यह सही नहीं है कि कोई भी गिरफ्तारी रूपावास या सामोला के बारे में नहीं की गई। पहले यह गिरफ्तारियां की गई फिर छोड़ दिये गये हैं। अब तक कोई पता नहीं लगा सके हैं। आखिर सरकार का पुलिस विभाग किसी नतीजे पर पहुंचा है। लोग यह कार्य कर रहे हैं। क्या यह षड्यंत्र है? उनके पीछे मोटिव क्या है?

श्री दामोदर लाल व्यास: आप प्रश्न पूछ रहे हैं? गालिबन जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपने सुना नहीं। मुफस्सिल स्टेटमेंट दिया गया है। दुबारा आप रिपोर्ट करवाना चाहते हैं पूरे जो केस थे, मुफस्सिल बता दिया गया है, कितने मुस्तबा हैं कितने मफरूर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह बात सही है कि कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछ लीजिये, चार सवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि पल्ली और माधसिंह दो व्यक्ति जो गोविन्दगढ़ सब-तहसील बरवाड़ा ग्राम के रहने वाले, जो कि सजा पा चुके हैं, पुलिस जब उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पुलिस की कस्टडी से वे फरार हो गये क्या यह पुलिस की साजिश नहीं है? पुलिस की साजिश से फरार हुए। ये दोनों घटनाएं हैं। क्या यह सही नहीं है कि पल्ली और माधसिंह भागकर निकले हैं जिनके बारे में सन्देह है कि पुलिस ने जानबूझ कर छोड़ा है। वह लोग कोआपरेट कर रहे हैं। नम्बर तीन मैं जानना चाहता हूं····

श्री दामोदर लाल व्यास: आप साथ साथ जवाब भी सुनते जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय तो कह रहे थे कि आप सवाल करें।

श्री दामोदर लाल व्यास : अच्छा ? सवाल करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि पुलिस को यह शुबाह था कि एक पर्टीक्यूलर गांव सरमोली के अन्दर मुलजिमान हैं, लेकिन पुलिस फोर्स न होने की वजह से, एडीक्वेट पुलिस फोर्स न होने की वजह से वहां पर कोई छापा नहीं मार सकी ? क्या यह सही नहीं है कि अलवर के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और कलेक्टर ने सरकार से इस बात की मांग की कि हमारे पास में पुलिस फोर्स कम है इसलिए हमें और अधिक फोर्स दी जाय। लेकिन और अधिक फोर्स वहां पर नहीं भेजी ? क्या यह सही नहीं है कि गांवों के अन्दर जो पुलिस आउट पोस्ट हैं, जैसे अकबरपुरा गांव हैं, जहां पर भारी खतरा था जिस तरह गांव के बाहर घटनायें हुई उनसे, लेकिन शहर में फोर्स और बढ़ाने के लिए जयपुर से या और कहीं से फोर्स न भेजकर जो छोटी 2 आउट पोस्ट थीं, उन आउट पोस्ट से सिपाहियों को वापिस बुला लिया गया। मुझे एक गांव का पता है, अकबरपुरा पुलिस आउट पोस्ट का, जहां पर केवल पांच पुलिस के आदमी थे, एक हैड कान्स्टेबिल और चार कान्स्टेबिल लेकिन उनमें से भी वहां से दो कान्स्टेबिल को बुला लिया और हैड कान्स्टेबिल को किसी दूसरी जगह ड्यूटी पर भेज दिया। इस कारण वहां पर केवल दो सिपाही रह गये, इससे गांव वालों में भारी आतंक है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं जब कि बात इतनी सी है कि पुलिस आउट पोस्ट से फोर्स विदड्रा की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतने में यह बात को समझते नहीं हैं। आप तो समझ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सीधी साधी सी बात है। आप यह कह दीजिये कि क्या पुलिस आउट पोस्ट से फोर्स विदड्रा की है। यह क्या तरीका है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है, माननीय सदस्य को पता नहीं है जवाब का, क्योंकि आप उस समय यहां थे नहीं इसलिए आपको पता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को बार-बार क्यों कहते हैं। इस बात को तो आप जानते हैं कि मैं बाद में आया।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह बताया जा चुका है कि पुलिस भेज दी गई, पुलिस तैनात की गई है। अब आप यह चाहते हैं कि दुबारा यह बात बताई जाय तो वह बताई नहीं जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप भाषण समाप्त करें तो उचित होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से एक मीटिंग सिटीजन्स की बुलाई गई और उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि लोगों को आर्म्स के लाइसेन्स बहुत एक्सपी डिशियसली दिये जायेंगे। तो बावजूद इसके कि लोगों ने

Page No. 44

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बहुत भारी तादाद में आर्म्स के लाइसेन्स लेने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, मैं यह जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को एक्चुअली लाइसेन्स दिया गया है और बाकी की दरख्वास्तों को एक्सपीडाइट क्यों नहीं किया जा रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से, जो कि पुराना तरीका है, इस कार्य को कर रहे हैं, इससे लोगों में जो आतंक है, उसको और बढ़ाने के लिए आप इस तरह धीमी कार्यवाही क्यों कर रहे हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यह जानना चाहते हैं कि किस किस मुकदमे में कौन मुलजिम है, कौन मुल्जिम है, व किसको गिरफ्तार किया गया ? आप जानते हैं इस प्रकार के यह सब मामले सीक्रेट और खुफिया किस्म के होते हैं। अलवर में खास तौर से समाज विरोधी तत्व ज्यादा हैं-माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस लिए इस बात का पूरा ब्यौरा हर्गिज नहीं दिया जा सकता कि किस मुकदमे में कौन मुलजिम है व कौन क्रिमिनल किस नेचर का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जिले से भेज रहे हैं। जेलों के अन्दर से छोड़ रहे हैं और अपने गुण्डों के जरिये छुड़वा देते हैं, किन कारणों से–यह मैं नहीं कह सकता।

श्री दामोदर लाल व्यास : ठहरिये, ठहरिये। वही बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दामोदर लाल व्यास: रहा सवाल इस बात का कि जेल से छूट कर कुछ लोग गये। यह सही है कि जेल से मुलजिमान जा रहे थे उस समय वह गार्ड से अपने को छुड़ा कर भाग गये। लेकिन वह लोग इस सम्बन्ध में जरायम हैं या नहीं–यह बता सकना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो गार्ड वाले थे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है।

एक सवाल आपने पूछा कि आर्म्स के लाईसेन्स नहीं दिये गये वह क्यों नहीं दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न नहीं आया है इसमें।

श्री दामोदर लाल व्यास : एक तो यह सवाल नहीं उठाया गया है, दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि जिनके पास में लाइसेन्स देने का अधिकार है। कलेक्टर, ए. डी. एम. हैं और पुलिस एस. पी. दरख्वास्त देने वाले व्यक्तियों के एन्टीसिडेन्ट के बारे में जांच कर रहे हैं कि जीवन के अन्दर वास्तव में यह ऐसे लोग तो नहीं हैं जो समाज के अन्दर लाइसेन्स लेकर ज्यादा गड़बड़ी पैदा कर सकते हों। इसलिए यह कहना कि फौरन लाइसेन्स देना चाहिए, मेरा निवेदन है कि यह मुमकिन नहीं है। वैसे यह इससे सम्बन्धित भी नहीं है।

इसके अलावा जयपुर से फोर्स भेज दी गई थी, पौने दो सौ की फोर्स भेज दी गई है। आप कहते हैं कि एक आदमी को भी नहीं भेजा, जब कि पौने दो सौ को फोर्स भेज दी गई थी और राउंड द क्लाक वहां पर पैट्रोलिंग हो रहा है और उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तारीख के बाद घटना नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ? नो मोर क्वेश्चन ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए आप अलग से क्वेश्चन पूछिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कह रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई है जब कि घटना पर घटना हो रही है बराबर ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्टेट मिनिस्टर महोदय ने वक्तव्य दिया उसके बारे में निवेदन है कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के जिस थानेदार ने वीरतापूर्वक डाकुओं से मुकाबला करके अपनी जान की आहूति दे दी, उसके बारे में प्रशंसा के शब्द कहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए कुछ कान्क्रीट, कुछ दरअसल मेरिट रिकग्नाइज करके कोई खास कदम उठाना चाहते हैं या नहीं ? यह बता दें, मैं अहसानमन्द होऊंगा ।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको मालूम है जो कदम उठाये गये हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री और राज्य मंत्री जी ने उत्तर दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में वाकई आतंक है । हमने अपने जीवन में कभी ऐसा आतंक लोगों में नहीं देखा, जैसा आज है । आज हर एक इन्सान अपने को ऐसा महसूस करता है कि उसको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है । यहां तक कि पुलिस के ऑफिसर भी ऐसा महसूस करते हैं । इस सम्बन्ध में सरकार अपनी ही चलाना चाहे तो हमें उसमें ऐतराज नहीं है लेकिन जो वाकयात बताये हैं वह सही हैं । जो लोग जख्मी हुए हैं उनको मैने हास्पीटल में देखा है । उनकी हालत बड़ी खराब थी । वहां एक बुरे मोटिव और नक्सलाइट जैसा नजारा रहा है । इसके कारण वहां पर बड़ा आतंक है लेकिन सरकार कहती है कि वहां पर आतंक नहीं है । मुझे बड़ा अफसोस है कि यहां पर इस प्रकार का जवाब दिया गया कि वहां पर कोई लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है । वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉबलम है । मैंने सरकारी अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की लेकिन वह यह पता नहीं लगा सकते है कि शहर में कहां कहां डाका पड़ा है । वह यह पता नहीं चला सके कि वास्तव में पच्चीस-तीस आदमियों के घर के दरवाजे खटखटाये गये और दरवाजे खुलवा कर उनको परेशान किया गया । आज भी सैंकडों केसेज अनरिपोर्टेड हैं । इस पर भी सरकार कहती है कि गडबडी नहीं है, व्यवस्था अच्छी है । मुझे अफसोस है । मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में ज्यादा गौर से ध्यान देकर कदम उठाने की कोशिश करें ।

श्री भगवान दास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है । सम्पूर्ण राजस्थान में चाहे पुलिस की कोतवाली हो या चाहे पुलिस का खेमा हो, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको मारने के लिए डराया जाता है या जिसके ऊपर प्रहार किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और उसको कहा जाता है कि तुम अभी जिन्दा हो, मरोगे तब रिपोर्ट दर्ज करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: अलग से प्रश्न ।

श्री हीरालाल देवपुरा : कौनसा थाना बताया ?

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अजमेर के बारे में कहता हूं, पुष्कर क्षेत्र के बारे में कहता हूं। वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। कहते हैं अभी तुम जिन्दा हो। मरोगे तब लिखेंगे।

श्री जयनारायण सालोविया (निवाई): रिपोर्ट कौन कराये जब मरेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बद्रीप्रसाद जी ने जो कहा, उसका स्पष्ट जवाब दे चुका हूं। उसके बाद भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं के बाद वहां पर विशेष प्रबन्ध गश्त का कर दिया गया है और इसका ब्योरा भी दिया गया था कि किस प्रकार से वहां गश्त हो रही है। यह भी निवेदन किया कि कलेक्टर के यहां पर जिलाधीश ने प्रमुख नागरिकों को बुलाकर उनके सामने सारी स्थिति बताई। उससे सबको संतोष है। इसके बाद में अलवर में ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई असुरक्षा की भावना हो। वहां पर पुलिस सतर्क है, विजिलेन्ट है और कोई घटना इस प्रकार की वहां नहीं घटित हुई है। इसके अतिरिक्त काफी स्पष्ट जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने दिया, माधसिंह और पल्ली के बारे, यह कहा कि उसका सम्बन्ध उस केस के बारे में है या अलग केसेज के बारे में–किस केस से सम्बन्ध हो सकता है, यह नहीं अभी बताया जा सकता। इसके अलावा बताया। जो गाजूका का केस हुआ उसके बारे में पता लगाया और एक मुलजिम उसमें गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम भी बताया है। तो पुलिस वहां सतर्क है, ज्योंहि इत्तला मिली, केसेज को रजिस्टर किया गया और रजिस्टर करने के बाद में तफतीश चालू हुई है, दो के अन्दर मुकदमे चालान कर दिये हैं और बाकी के अन्दर कार्यवाही हो रही है। और कुछ माल भी बरामद हुआ है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : चालान कौन से केस में किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसलिए यह कहना कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, गलत है और निराधार है। पुलिस वहां पर पूरा काम कर रही है और अलवर में पूरा इन्तजाम है।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अब प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : इस सम्बन्ध में आपका क्या कथन है कि कोई रिपोर्ट कराने के लिए जाता है·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! चर्चा समाप्त हुई ?

श्री भगवानदास शास्त्री : तो उसको कहा जाता है कि तुम अभी जिन्दा हो, जब मरोगे तब करेंगे। उस पर जब प्रहार होगा, वह मरेगा, उस पर छुरा चलाया जायगा तब रिपोर्ट ली जायगी–यह आप बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं····

श्री दामोदर लाल व्यास: आप बारबार यही सवाल पूछ रहे हैं। यदि कोई पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो उसके लिए आदेश जारी कर दिये हैं, आदेश जारी कर रखे हैं बहुत दिन हुए तब से जिसमें लिखा है कि यह कसूर बड़ा कसूर माना

(श्री दामोदर लाल व्यास)
जायगा और ऐसे मामले में डिस्मिसल होगा। कोई पुलिस आफिसर हो वह रिपोर्ट अगर दर्ज नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट करके उसको साबित करने का अपना काम है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आर्डर कब दिये ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो केसेज रेफर किये हैं, जिनके चालान का जिक्र किया वह कौन से हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक केस के बारे में है। और में नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार वही सवाल उठा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और किस केस का चालान हुआ है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : काफी है इतना, काम तो हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दामोदर लाल व्यास : लेकिन आपने वह सुना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको इसी बात का सन्तोष है कि मैंने नहीं सुना।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, मोहर के थाने के अन्दर एक आदमी को घर से ले जाकर पीटा था····

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर आपने फर्माया था और व्यवस्था दी थी·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड में नहीं लिया जाय। यह निकाल दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस स्थगन प्रस्ताव पर क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और यह कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है, इसके बाद सूचना दे दी जायगी, लेकिन अभी तक सूचना नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 24(4) राजा।उप।68 दिनांक 21 फरवरी, 1969 जिसके द्वारा ओराई कमाण्ड से बाहर होने

श्री रामप्रशाद लड्ढा)
वाले नम्बरों की सूची, गांव वाइज, सिचाई परियोजना खण्ड, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) जारी की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (7) रेवा।कोल।68 दिनांक 24 फरवरी, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम 1957 के नियम 20 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ब)(10) रेवा।कोल।68 दिनांक 24 फरवरी, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनायें सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 11(30) रेवा।कोल।65 दिनांक 24 फरवरी, 1968 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1965 में संशोधन किये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ 22(3) रेवा।कोल।65 दिनांक 24 फरवरी, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा) परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1965 के नियम 22 में संशोधन किया गया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री जय कृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1958 को प्रवर समिति का प्रतिवेदन सहित उपस्थापन करता हूं।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाडी करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल!

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश 1968 (अध्यादेश सं. 2 सन् 1968) को अस्वीकार करता है।" जो आर्डिनेन्स नम्बरों के सम्बन्ध में निकाला गया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आर्डिनेन्सों की बाढ़ सी आ रही है, यह बडी बुरी परम्परा है। जो बहुत ही इमर्जेन्सी के मामले हों उनमें ही राज्यपाल महोदय को आर्डिनेन्स निकालना चाहिए न कि ऐसे छोटे मोटे मामलों को लेकर इस बड़े अधिकार का प्रयोग करें।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि मोटरगाडी महकमा है, यातायात का डिपार्टमेंट है इसमें जितनी अव्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसमें मुझे विभिन्न प्रवृत्तियों से जानकारी मिली है कि जितनी बकाया मोटरों के टैक्स की इस विभाग की हैं, जितना रुपया मोटरों के टैक्स का बकाया है, उतना किसी भी विभाग का पैसा बकाया नहीं है। यह भी इस विभाग के सम्बन्ध में हास्यास्पद है कि इस विभाग के कर्मचारियों को यह भी मालूम नहीं है कि राजस्थान में कितनी गाडियां चलती हैं, कितनी गाडियों का कितना पैसा टैक्स का बकाया है, कितने मालिक हैं, उनके क्या नाम हैं, यह मालूम नहीं है। मुझे जानकारी मिली है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह यातायात विभाग है इसमें सबसे ज्यादा अव्यवस्था है, सबसे ज्यादा बकाया है। आपके कर्मचारियों को यह भी मालूम नहीं है कि कितनी गाडियां चलती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्डिनेन्सों की यह जो प्रथा है, यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है और मैं इस प्रथा का विरोध करता हूं। जो भी हो इस प्रकार आर्डिनेन्स से नहीं बल्कि सदन के माध्यम से, सदन के द्वारा होना चाहिए आर्डिनेन्स तो एक ऐसा हथियार है, जिसका खास इमर्जेन्सी में उपयोग किया जाना चाहिये। नम्बरों की गड़बड़ी की कहां इमर्जेन्सी थी कि आर्डिनेन्स निकालना पड़ा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है :

"यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित मोटरगाडी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश 1968 को अस्वीकार करता है।"

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि इससे पूर्व इस विषय पर संशोधन

(श्री दिग्विजयसिंह)

लाया गया था जो गाडियों के नम्बर आर. जे. एल. से आर. जे. एस. करने के सम्बन्ध में था, उसके अन्दर यह था कि आबादी बढ़ती जा रही है और लोग अधिक गाड़ियां खरीदते जा रहे हैं, इसलिए 10 हजार के ऊपर गाडियों का नम्बर निकल जाता है। तो नम्बर बदलना आवश्यक था। मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी उस रोज अक्ल न मालूम कहां चली गई थी ? उसी रोज आप यह कर लेते कि 10-हजार से ऊपर गाड़ियों का नम्बर यदि चला जाता है तो आर. आर. एल. या आर. पी. एल. या और कुछ होगा । पर आपने ऐसा नहीं किया और छोटी मोटी बातों के लिये आॉडिनेन्स लाते हैं यह आपके लिये शोभा की बात नहीं है और राजस्थान की जनता समझती है कि राजस्थान सरकार का ध्यान छोटी मोटी बातों की तरफ समय पर नहीं जाता है। 213 के आर्टिकल के तहत राज्यपाल महोदय को बड़ा अधिकार है, उस अधिकार को ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिये उपयोग किया जाना शोभाप्रद नहीं है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस आॉर्डिनेन्स को जिसको कि रेगुलेट करने के लिये यह बिल लाया गया है, अस्वीकार किया जाय।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यही निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय को जो यह पॉवर मिला हुआ है वह सुदर्शन चक्र के मानिन्द है। सुदर्शन चक्र का उपयोग चाहे जिस मामले में नहीं किया जाता है, उसी तरह छोटे मोटे मामलों में राज्यपाल महोदय को इस प्रकार के अधिकार का उपयोग कर के आॉर्डिनेन्स नहीं निकालने चाहिये इसलिये जैसा कि मैंने निवेदन किया है । इसे वापिस लेना चाहिये ।

श्री अमृतलाल यादव : (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सीधी सी बात है कि राजस्थान मोटर वेहिकल्स एक्ट के शिड्यूल 6 के माफिक 4 आंकड़े होते हैं। मोटरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिये 9999 नम्बर पूरे हो गये तो आगे रजिस्ट्रेशन करने के लिये असेम्बली चलती है । तो विधेयक पेश किया जाय । असेम्बली नहीं चलती है तो आॉर्डिनेन्स के जरिये यह करना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो गाड़ियां नहीं चल सकतीं । इसलिये यह आवश्यक था । यह कोई ऐसा आॉर्डिनेन्स नहीं है कि जिसके अभाव में भी काम चल सकता था । इसलिये इस प्रकार का आॉर्डिनेन्स लाना अनिवार्य हो गया था, यह जनहित के अन्दर है । क्योंकि अगर कोई गाड़ी अनरजिस्टर्ड चलती है तो कितनी बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाती है ।

माननीय सदस्य ने अव्यवस्था के बारे में और असुविधाओं के बारे में फरमाया है, उसके बारे में आपने जो ध्यान दिलवाया है, उसकी तरफ ध्यान दिया जायगा ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार करें ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि छः छः महीने के बाद सेशन बुलाने की बजाय शरदकालीन अधिवेशन बुलाया जाय तो इस प्रकार का आॉर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता नहीं रहे । क्यों नहीं शरद्-

(श्री भगवानदास शास्त्री)
कालीन अधिवेशन बुला कर उसमें इस प्रकार के विधेयक रखे जाते। इस ऑर्डिनेन्स की प्रथा के हम बिलकुल खिलाफ हैं, क्योंकि जितनी यातायात की सुविधाओं का सवाल है, कबाड़ीखाने से मोटरें लाये और चला दीं, उसी तरह से चेअरमैन भी कबाड़ीखाने से आये हैं; क्योंकि जिस व्यक्ति को घर के लिये पंखे आदि की जरूरत होती थी तो कबाड़ीखाने में घूमता था, ऐसे व्यक्ति को चेअरमैन लाये हैं।

आपकी व्यवस्था बिल्कुल निकम्मी है, डेली कम से कम 100 गाड़ियां ब्रेकडाउन होती हैं, इसलिए न आप काबिल हैं न आपके चेयरमैन··

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : चेयरमन अलग रहता है, जी. एम. अलग रहता है।

श्री अमृतलाल यादव : चेयरमैन तो कार्पोरेशन के हैं और उनका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश 1968 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1668) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को, विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री अमृतलाल यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाडी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969।

संकल्प प्रस्तुत करेंगे श्री रामकिशन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मान्यवर, मैं इस विधेयक पर निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर

(श्री केदारनाथ)

1968 को प्रख्यापित न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1968 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1968) को अस्वीकार करता है।" श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1968 हमारे सामने पेश है। जिस मकसद के लिए यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया उसमें तो दो राय नहीं। एम्पलॉयर्स की तरफ से हाई कोर्ट में रिट की गई और जिस बात को चैलेंज किया गया वह यह है कि मिनिमम वेजेज की एडवाइजरी कमेटीज होती हैं, वहां सरकार अपने नुमाइन्दे भेजती है, उसको इन्डपेंडेन्ट माना है। सरकार अगर इसके साथ साथ मिनिमम वेजेज के बेसिस के बारे में और 5 साल के बाद अपने आप मिनिमम वेजेज में जो रिवीजन हुआ है, उस बारे में एन्फोर्समेंट की मशीनरी के बारे में कुछ और प्रोवीजन जोड़ देती तो ज्यादा अच्छा होता। सरकार यह जवाब देगी कि सारे देश के आधार पर लेबर कमीशन रिपोर्ट देने वाला है उसकी इंतजारी है। मगर सरकार ने फैसला किया था कि जितनी इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेज लागू हैं, जहां जहां लागू हैं वहां माथुर कमेटी की सिफारिश के अनुसार लिंकिंग प्रिन्सीपल भी लागू हो जाय। यह आज तक नहीं हुआ। केबीनेट ने फैसला भी कर दिया और श्रम मंत्री जब कभी लेबर कान्फ्रेंसेज में जाते हैं तो इस प्रकार के भाषण भी देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बागात में जितने भी मजदूर काम करते हैं उनका मिनीमम वेज आज भी 52.50 है, बागात सारे शहरों में हैं, 60) से कम नहीं होने चाहिए मगर इस बारे में जो सिफारिश हुई उसको लागू नहीं किया। इसलिए एन्फोर्समेंट मशीनरी के बारे में लाजमी है कि प्रोवीजन जोड़ना चाहिए। किसी प्रकार भी फैसला हुआ उसको एन्फोर्स करना रैवेन्यू ऑफिसर्स का काम है। उसका प्रोसीजर लंबा है, फिर हो जायगा। यह माथुर कमेटी का प्रिन्सीपल भी लागू हो जाय। ये सारी बातें आश्वासन के रूप में आ जायं तो मैं अपना संकल्प वापस ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उत्तर दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। यह जो अध्यादेश सरकार ने निकाला, उसको अध्यादेश के रूप में संशोधन की तो आवश्यकता है। परन्तु जो हम आशा करते थे श्रम मंत्री से और जिस स्थिति की आवश्यकता है, वह केवल यह नहीं कि हाईकोर्ट ने इन्वेलिडेट कर दिया, उसके केवल वेलिडेशन के लिए संशोधन लाते। विभिन्न श्रम सम्मेलनों में इस बात को लेबर प्रतिनिधियों की तरफ से स्ट्रेस किया गया है कि आज कितने ही वर्कर्स हैं, कितनी चीजों में काम कर रहे हैं, वे मिनिमम वेजेज से कवर्ड नहीं हैं। राज्य सरकार को पॉवर्स हैं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
वह चाहे तो उनको शिड्यूल्ड इण्डस्ट्रीज में शामिल कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बहुत से कर्मचारी जो कि इस मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत कवर्ड होने चाहिए वे नहीं हैं। श्रम मंत्री को ध्यान देना चाहिए कि ट्रांस्पोर्ट से सम्बन्धित जितनी रिपेयर वर्कशाप्स हैं आज ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री बढ़ रही है, ट्रांस्पोर्ट बढ़ रहा है और इसलिए इस तरह के वर्कशाप्स की तादाद बढ़ती जा रही है और उसमें वर्कर्स की तादाद भी बहुत बढ़ती जा रही है। ये वर्कर्स चाहे मिस्त्री के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे फिटर्स के रूप में, वे मिनिमम वेजेज एक्ट से कवर्ड नहीं हैं, ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स कवर्ड अवश्य हैं इसलिए एक तो इन वर्कर्स को शिड्यूल्ड इण्डस्ट्रीज के अंदर लें।

दूसरी बात शॉप्स और कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके तहत तमाम दूकानों, बैंक्स, होटेल्स सिनेमाघर वगैरह में जितने कर्मचारी हैं शॉप एसिस्टेंट हैं, क्लर्क्स हैं, पढ़े-लिखे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद राजस्थान में इन लोगों की है। अभी तक जो लोग मिनिमम वेजेज एक्ट से कवर्ड नहीं हैं और उससे जो सम्बन्धित सुविधायें हैं उनसे वे वन्चित रहते हैं। बार-बार इस तरह के कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनकी यूनियन्स के द्वारा भी गवर्नमेंट को स्ट्रेस किया गया लेकिन आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

इस प्रकार और भी वर्कर्स हैं। हमाल का जिक्र माननीय केदारनाथजी ने किया। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम मिनिमम वेजेज एक्ट है तो उसके अन्तर्गत तमाम वर्कर्स को लागू कर दें। 1965 में मिनिमम वेजेज एक्ट को रिवाइज किया था। 69 हो गया। चार वर्ष हो गये। जो भी माथुर मिनिमम वेज कमेटी बैठी थी उन्होंने जो भी रिकमन्डेशन्स की थीं जो गजट नोटिफिकेशन किया उसमें एक फुट नोट जोड़ दिया जो डेमेजिंग और इन्ज्युरियस लेबर इन्ट्रेस्ट के लिए रहा है। उसमें यह जोड़ दिया गया कि ये जो वेजेज हैं वे तमाम अलाउन्सेज के इन्क्ल्यूजिव हैं। इसका मतलब है कि डीयरनेस एलाउन्स भी उसमें शामिल हो गया। न तो माथुर कमेटी का कोई सजेशन था और न किसी प्रकार जस्टिफाइड है। उसका नतीजा यह हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, 1965 में जो मिनिमम वेजेज मुकर्रर थे बावजूद इस बात के कि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं, इन्डेक्स इतना बढ़ गया जिसको 50 रुपया मिलता है, जिसको 65 रुपया मिलता है जैसे ट्रान्सपोर्ट के हैं, 85 रुपया सेमिस्किल्ड के लिए रखा गया और 100 स्किल्ड के लिए रखा गया वे ही आज हो चल रहे हैं और डी. ए. उनको नहीं दिया जा रहा है। जैसा केदारनाथजी ने कहा कि गवर्नमेंट ने खुद ने कमेटी मुकर्रर की और उसी ने रिकमन्डेशन कर दी कि लिंकिंग होना चाहिए, डी. ए. उस मात्रा में बढ़ना चाहिए जिस मात्रा में कीमतें बढ़ती हैं। यह लागू नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि डी. ए. नहीं मिलता है और महंगाई बढ़ती जाती है जिससे वर्कर्स की पे में हरजाना हो रहा है, वास्तविक तनख्वाह कम हो रही है। मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझता हूं कि यह आवश्यकता थी। माननीय मंत्री महोदय, इस बिल के साथ मैं अभी भी कहूंगा कि इस स्तर पर जल्दी न करें। दूसरा बिल ले आयें और उसमें इसको भी इन्क्लूड कर लें और तमाम बातों को भी इन्क्लूड कर लें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्डेक्स नम्बर था माथुर कमेटी की रिकमन्डेशन्स के अनुसार अप्रेल, 1966 में मिनिमम वेज 60 पर 16.80 पैसे डी.ए. तय हुआ, इन्डेक्स नम्बर बढ़ गया अक्टूबर 1968 में। 38.50 पैसे उसके ऊपर आता है। इसका मतलब हुआ दुगुने से भी अधिक है। 16.80 से 38 रुपये 50 पैसे। 22 रु. उस पर बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि हर एक मजदूर को मिनिमम वेजेज में 65 से कम मिल रहा है। 60 रुपया के बजाय 98.50 पैसे मिलना चाहिये, जो माथुर कमेटी के सजेशन्स हैं जो उस वक्त नियत किया था उसके अनुसार 98.50 होना चाहिये। लेकिन पुराने कानून के अनुसार 60 रुपया ही मिल रहा है। हम मजदूरों से हर कुर्बानी के लिये कहते हैं। चाहे पाकिस्तान से या चीन से लड़ाई हुई उनसे वेजेज देने के लिये कहा उन्होंने दिया, बोर्डर पर जाने के लिये कहा तो अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करने के लिये वे बोर्डर पर भी गये। अकाल राहत कार्य में उनसे कुर्बानी करने के लिये कहा तो उसके लिये भी उन्होंने कुर्बानी की। समाजवाद की बात कहते हुए सब बातें कहना चाहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संकल्प पर ही बोलें। बहुत दूर चले गये हैं विषय से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंहगाई बढ़ी एक नियोजन के जरिये और मजदूरों को नहीं मिले और उल्टी तनख्वाह कम होती चली जाय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी संकल्प वापिस लेकर एक क्लाज अमेन्ड करना चाहते हैं उसको वापिस लेकर और तीन चार मुद्दे हमने रखे हैं उसको लेकर एक नया बिल लायें।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्षजी,········

श्री उपाध्यक्ष : किस विषय पर बोलेंगे?

श्री लादूराम सुलानिया : मैं सजेशन्स देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले तैयारी के साथ बोलें।

श्री लादूराम सुलानिया : जो भी मजदूर इस एक्ट के तहत आते हैं वे तो आते ही हैं लेकिन यह इतना अधूरा संकल्प है कि जिसमें हजारों मजदूर शामिल नहीं होते हैं जिनको कच्ची लेबर मान कर चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि संकल्प किसने प्रस्तुत किया है और क्या संकल्प है इसको तो पढ़ लिया करें ताकि सदन का समय इस प्रकार न जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सदस्य कह रहे हैं बिल्कुल अधूरा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह संकल्प जिस पर बहस चल रही है वह अपने आप में पूरा है।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज लाखों लोग ऐसे हैं जो मजः

(श्री लादूराम सुलानिया)
दूरी करते हैं लेकिन उनको मजदूर की गणना में नहीं लेते हैं। जो ठेकेदारों के यहां पर मजदूर काम करते हैं उन सारे के सारों को संकल्प में जोड़ना चाहिये इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्रीजी इसमें जोड़ें और उसके बाद इस बिल को प्रस्तुत करें तो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मामला बहुत सीधा सादा है। सदन में यह बिल गत सत्र में आया था और थोड़ी इस पर बहस भी हुई थी। उसके बाद पारित नहीं हो सका इसलिये ऑर्डिनेन्स के रूप में जारी किया गया। चूंकि ऑर्डिनेन्स के रूप में जारी हुआ इसलिये यह बिल के रूप में सदन के सामने है।

जहां तक और मैटर्स लेने का सवाल है जितने भी नीति सम्बन्धी मामले हैं उनमें पहले एडवाइजरी बोर्ड में डिस्कशन होकर फिर हम स्वीकार करते हैं और एडवाइरी बोर्ड की मीटिंग में भी प्रस्ताव आता है उसके अनुरूप लेबर पॉलिसी को बनाते हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिन पर मिनिमम वेज लागू नहीं हैं और शिड्यूल के अन्तर्गत आने चाहिये उनके बारे में यह बिल पास होने के बाद भी विचार किया जा सकता है इसलिये इसको रोकने का सवाल नहीं है।

जहां तक बागात का सवाल है मैं अभी तक स्पष्ट नहीं हूँ कि उनके वर्कर्स को अलग शिडयूल में लेने की जरूरत होगी तो उनको भी उसमें लेकर मिनिमम वेज तैयार कराये जा सकते हैं। दूसरा ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स में कई केटेगरीज हैं जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन मिनिमम वेजेज में दूसरे होते हैं। मिस्त्री वगैरा तो रेग्यूलर डिमान्ड और सप्लाई में होते रहते हैं। मिनिमम वेज की डेफिनिशन है उसमें अलाउन्स भी शामिल है। It is included of all allowances इसलिये हमें एडवाइज की गई है कि बेसिक वेस तो इतना रहे और उस पर डी. ए. दिया जाय तो उनमें शिड्यूल में इस तरह से करते हैं बाकी कन्सोलिडेटेड वेजेज तय होती है तो इस तरह से करते हैं यहां पर सिर्फ यह है कि इस बिल में हाईकोर्ट ने इन्डिपेन्डेंट पर्सन की डेफिनेशन को अवैध मान्य कर दिया है। किसी एक को माइका माइन्स के मिनिमम वेजेज तय करने के लिये बोर्ड बिठाया गया था, उसमें इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे अजमेर के, उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसको गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं मानते। इसलिये इन्डिपेन्डेंट पर्सन को क्लेरिफाइ किया है। मध्यप्रदेश में भी इसी के मुताबिक किया है। केरल और स्टेटस में भी इसी तरह की भाषा थी। और उन्होंने भी वहां पर इन्डिपेन्डेंट पर्सन की डेफिनेशन को क्लेरिफाई किया है। यहां पर यह भी कहा गया कि दूसरों को भी इसमें प्रवेश दिया जाय। मिनिमम वेजेज के बारे में जो पॉलिसी है, वह एडवाइजरी बोर्ड में विचार होकर तय होती है। माननीय सदस्यों ने मिनिमम वेजेज के बारे में, पेमेन्ट ऑफ वेजेज के बारे में कहा है। नेशनल वेजेज कमीशन इसके लिये अपनी रिपोर्ट दे रहा है, इसलिये इसमें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेन्स के रूप में इसको इसलिये लाया गया कि मालिकान पैसा खा जाना चाहते थे। रिट्रॉस्पेक्टिव डेट से भी इसलिये लाया गया है कि मजदूरों का पैसा पिछले

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कई दिनों से बकाया पड़ा हुआ था ताकि उनको जल्दी से जल्दी पैसा मिल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को वापिस लेकर जो बिल है, उसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पर मतदान।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1968) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन।

श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस परपज के लिये यह विधेयक लाया गया, उससे मैं सहमत हूं। मेरा एक सुझाव है···

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया है इसका····

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री कल्याणमल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, दी बोम्बे प्रोहिबिशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1966 को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को वापिस लेता हूँ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मार्फत मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

काम किया है। मद्यनिषेध की तरफ यह एक कदम है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 10 मार्च के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट पर 10 मार्च, 69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

शुद्धि-पत्र

[शनिवार (सायंकालीन) दिनांक 8 मार्च, 1969]

स्तम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
2	15	समवार	सोमवार
7	3	चाहत	चाहता
"	4	अप ी	अपनी
"	10	हने	होने
8	अन्तिम से 4	न्होंने	उन्होंने
9	2	दज	दर्ज
16 से 22	शीर्षक	वक्तव्य	वक्तव्य
19	अन्तिम	ऐतरा	ऐतराज
25	शीर्ष	(श्री रामप्रशाद लड्ठा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
"	अन्तिम से 10	संक्या	संख्या
31	" 15	चेयरमन	चेयरमैन
33	5	अस्रीकार	स्वीकार
"	अन्तिम से 4	ताज्जु	ताज्जुब
36	शीर्षक	1939	1969
"	9	नाट	नोट
41	शीर्षक	8 माच	8 मार्च